-490-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-171009 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि :- वर्ष 1997-98

भाग - एक

1. गत लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख सहित पुनर्समीक्षा की गई तथा लम्बित अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति नीचे वर्णित है:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1988-89:-

1. पैरा 6	अनिर्णीत
2. पैरा 10	अनिर्णीत
3. पैरा 11(क)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1989-90:-

1. पैरा 6	अनिर्णीत
2. पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
3. पैरा 10	अनिर्णीत
4. पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
5. पैरा 12(घ)	अनिर्णीत
6. पैरा 12(ड.)	अनिर्णीत
7. पैरा 12(च)	अनिर्णीत
8. पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
9. पैरा 13(घ)	अनिर्णीत
10. पैरा 13(ड.)	अनिर्णीत
11. पैरा 14(क)	अनिर्णीत
12. पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
13. पैरा 17(च)	अनिर्णीत
14. पैरा 17(ज)	अनिर्णीत
15. पैरा 19(ग)	अनिर्णीत

...2.

16. पैरा 19(घ) अनिर्णीत
17. पैरा 19(च) अनिर्णीत
18. पैरा 19(छ) अनिर्णीत
19. पैरा 19(ज) अनिर्णीत
20. पैरा 19(ब) अनिर्णीत
21. पैरा 19(द) अनिर्णीत
22. पैरा 23(ग) अनिर्णीत
23. पैरा 23(घ) अनिर्णीत
24. पैरा 23(ङ.) अनिर्णीत
25. पैरा 24 अनिर्णीत
26. पैरा 25 अनिर्णीत
27. पैरा 26 अनिर्णीत
28. पैरा 27 अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990-91:-

1. पैरा 5 अनिर्णीत
2. पैरा 6 अनिर्णीत
3. पैरा 7 अनिर्णीत
4. पैरा 8 अनिर्णीत
5. पैरा 9 अनिर्णीत
6. पैरा 10 अनिर्णीत
7. पैरा 11 अनिर्णीत
8. पैरा 13 अनिर्णीत
9. पैरा 14 अनिर्णीत
10. पैरा 15 अनिर्णीत
11. पैरा 16 अनिर्णीत
12. पैरा 17 अनिर्णीत
13. पैरा 18 अनिर्णीत
14. पैरा 20 अनिर्णीत
15. पैरा 21 अनिर्णीत
16. पैरा 22

592 -

17. पैरा 23	अनिर्णीत
18. पैरा 24	अनिर्णीत
19. पैरा 25	अनिर्णीत
20. पैरा 26	अनिर्णीत
21. पैरा 27	अनिर्णीत
22. पैरा 29	अनिर्णीत
23. पैरा 30	अनिर्णीत
24. पैरा 31	अनिर्णीत
25. पैरा 32 6	अनिर्णीत
26. पैरा 33	अनिर्णीत
27. पैरा 34	अनिर्णीत
28. पैरा42	अनिर्णीत
29. पैरा 43(अ)(बी)	अनिर्णीत
30. पैरा 46	अनिर्णीत
31. पैरा 47	अनिर्णीत
32. पैरा 48(2)	अनिर्णीत
33. पैरा 50	अनिर्णीत
34. पैरा 51(2)	अनिर्णीत
35. पैरा 53(बी)	अनिर्णीत
36. पैरा 55	अनिर्णीत
37. पैरा 58	अनिर्णीत
38. पैरा 59	अनिर्णीत
39. पैरा 60	अनिर्णीत
40. पैरा 61	अनिर्णीत
41. पैरा 62	अनिर्णीत
42. पैरा 63	अनिर्णीत
43. पैरा 64	अनिर्णीत
44. पैरा 65	अनिर्णीत
45. पैरा 66	अनिर्णीत
46. पैरा 67	अनिर्णीत
47. पैरा 70	

...4...

...6...

493 -

48. पैरा71 — अनिर्णीत

49. पैरा 73 — अनिर्णीत

50. पैरा 75 — अनिर्णीत

51. पैरा 76 — अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1991-92:-

1. पैरा 5 — अनिर्णीत
2. पैरा 6 — अनिर्णीत
3. पैरा 7 — अनिर्णीत
4. पैरा 8 — अनिर्णीत
5. पैरा 9(क) — अनिर्णीत
6. पैरा 9(ख) — अनिर्णीत
7. पैरा 9(ग) — अनिर्णीत
8. पैरा 9(घ) — अनिर्णीत
9. पैरा 9(ङ.) — अनिर्णीत
10. पैरा 9(च) — अनिर्णीत
11. पैरा 9(छ) — अनिर्णीत
12. पैरा 9(ज) — अनिर्णीत
13. पैरा 9(झ) — अनिर्णीत
14. पैरा 9(ञ) — अनिर्णीत
15. पैरा 9(ट)(1) — अनिर्णीत
16. पैरा 9(ठ)(4) — अनिर्णीत
17. पैरा 9(ड)(1) — अनिर्णीत
18. पैरा 9(ड)(2) — अनिर्णीत
19. पैरा 9(ढ)(1) — अ गोंत
20. पैरा 9(ढ)(2) — अनिर्णीत
21. पैरा 9(ढ)(4) — अनिर्णीत
22. पैरा 9(ढ)(5) — अनिर्णीत
23. पैरा 9(ण)(3) — अनिर्णीत
24पैरा 9(ण)(4) — अनिर्णीत
25. पैरा 9(त)(2) — अनिर्णीत

26. पैरा 9(त)(2) अनिर्णीत
27. पैरा 9(त)(4) अनिर्णीत
28. पैरा 9(त)(7) अनिर्णीत
29. पैरा 9(त)(8) अनिर्णीत

~~30. पैरा 9(थ)(8)~~ अनिर्णीत

30. पैरा 9(प) अनिर्णीत
31. पैरा 9(थ) अनिर्णीत
32. पैरा 9(न) अनिर्णीत
33. पैरा 10(ग) अनिर्णीत
34. पैरा 10(च) अनिर्णीत

~~36. अनिर्णीत~~

35. पैरा 11 अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992-93:"

1. पैरा 3. अनिर्णीत
2. पैरा 4 अनिर्णीत
3. पैरा 5 अनिर्णीत
4. पैरा 6 अनिर्णीत
5. पैरा 7 अनिर्णीत
6. पैरा 8 अनिर्णीत
7. पैरा 9 अनिर्णीत
8. पैरा 10 अनिर्णीत
9. पैरा 11 अनिर्णीत
10. पैरा 12 अनिर्णीत
11. पैरा 13 अनिर्णीत
12. पैरा 14 अनिर्णीत
13. पैरा 15 अनिर्णीत
14. पैरा 16(बी) अनिर्णीत
15. पैरा 16(सी) अनिर्णीत
16. पैरा 16(डी) अनिर्णीत
17. पैरा 17 अनिर्णीत

 495-

18. पेरा 18(बी)	अनिर्णीत
19. पेरा 19	अनिर्णीत
20. पेरा 23	अनिर्णीत
21. पेरा 24	अनिर्णीत
22. पेरा 25	अनिर्णीत
23. पेरा 26	अनिर्णीत
24. पेरा 27	अनिर्णीत
25. पेरा 28	अनिर्णीत
26. पेरा 29	अनिर्णीत
27. पेरा 30	अनिर्णीत
28. पेरा 31	अनिर्णीत
29. पेरा 32	अनिर्णीत
30. पेरा 33	अनिर्णीत

ख. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1993-94:-

1. पेरा 4	अनिर्णीत
2. पेरा 5	अनिर्णीत
3. पेरा 6	अनिर्णीत
4. पेरा 7	अनिर्णीत
5. पेरा 8	अनिर्णीत
6. पेरा 9	अनिर्णीत
7. पेरा 10	अनिर्णीत
8. पेरा 11(बी)	अनिर्णीत
9. पेरा 11(सी)	अनिर्णीत
10. पेरा 11(डी)	अनिर्णीत
11. पेरा 11(एफ)	अनिर्णीत
12. पेरा 11(जी)	अनिर्णीत
13. पेरा 11(एच)	अनिर्णीत
14. पेरा 11(आई)	अनिर्णीत
~~15. पेरा 11(जे)~~	अनिर्णीत
16. पेरा 1(के)	अनिर्णीत

...7...

17.	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत
18.	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत
19.	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत
20.	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत
21.	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत
22.	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत
23.	पैरा 12	अनिर्णीत
24.	पैरा 13	अनिर्णीत
25.	पैरा 14	अनिर्णीत
26.	पैरा 15	अनिर्णीत
27.	पैरा 16	अनिर्णीत
28.	पैरा 17(ए,बी,सी)	अनिर्णीत
29.	पैरा 18	अनिर्णीत
30.	पैरा 19(ए,बी,सी,डी,ई)	अनिर्णीत
31.	पैरा 20(ए,बी,सी,डी, ई,एफ,जी,एच,आई, जे,के)	अनिर्णीत
32.	पैरा 21(ए,बी,सी,डी)	अनिर्णीत
33.	पैरा 22	अनिर्णीत
34.	पैरा 23(ए,बी)	अनिर्णीत
35.	पैरा 24(ए,बी)	अनिर्णीत
36.	पैरा 25(ए व एफ)	अनिर्णीत
37.	पैरा 26	अनिर्णीत
38.	पैरा 27	अनिर्णीत
39.	पैरा 28	अनिर्णीत
40.	पैरा 29	अनिर्णीत
41.	पैरा 30(ए,बी,सी)	अनिर्णीत
42.	पैरा 31(ए,बी)	अनिर्णीत
43.	पैरा 32	अनिर्णीत
44.	पैरा 33	अनिर्णीत
45.	पैरा 34	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1994-95:-

1. पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
2. पैरा 4(सी)	अनिर्णीत
~~3. पैरा 4(सी)~~	अनिर्णीत
4. पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
5. पैरा 4(इ)	अनिर्णीत
6. पैरा 4(जी)	अनिर्णीत
7. पैरा 5(2)(ए)	अनिर्णीत
8. पैरा 5(2)(बी)	अनिर्णीत
9. पैरा 5(2)(सी)	अनिर्णीत
10. पैरा 5(2)(डी)	अनिर्णीत
11. पैरा 5(2)(ई)	अनिर्णीत
12. पैरा 5(3)	अनिर्णीत
13. पैरा 5(4)	अनिर्णीत
14. पैरा 5(5)	अनिर्णीत
15. पैरा 5(6)	अनिर्णीत
16. पैरा 5(7)	अनिर्णीत
17. पैरा 6(8)	अनिर्णीत
18. पैरा 5(9)	अनिर्णीत
19. पैरा 5(10)	अनिर्णीत
20. पैरा 5(11)	अनिर्णीत
21. पैरा 5(12)	अनिर्णीत
22. पैरा 5(13)	अनिर्णीत
23. पैरा 5(14)	अनिर्णीत
24. पैरा 5(16)	अनिर्णीत
25. पैरा 5(17)	अनिर्णीत
26. पैरा 5(18)	अनिर्णीत
27. पैरा 5(19)	अनिर्णीत
28. पैरा 5(20)	अनिर्णीत
29. पैरा 5(21)	अनिर्णीत
30. पैरा 5(22)	अनिर्णीत

~~31. पेरा 5(21)~~	अनिर्णीत
~~32. पेरा 5(22)~~	अनिर्णीत
33. पेरा 5(23)	अनिर्णीत
34. पेरा 5(24)	अनिर्णीत
35. पेरा 6(3)(1)	अनिर्णीत
36. पेरा 6(3)(4)	अनिर्णीत
37. पेरा 6(5)	अनिर्णीत
38. पेरा 6(6)	अनिर्णीत
39. पेरा 6(16)	अनिर्णीत
40. पेरा 6(18)	अनिर्णीत
41. पेरा 6(19)	अनिर्णीत
42. पेरा 6(20)	अनिर्णीत
43. पेरा 7(1)	अनिर्णीत
44. पेरा 7(2)	अनिर्णीत
45. पेरा 7(3)(बी)	अनिर्णीत
46. पेरा 7(8)	अनिर्णीत
47. पेरा 7(11)	अनिर्णीत
48. पेरा 8	अनिर्णीत
49. पेरा 9	अनिर्णीत
50. पेरा 13(1)	अनिर्णीत
51. पेरा 13(3)	अनिर्णीत
52. पेरा 13(4)	अनिर्णीत
53. पेरा 14	अनिर्णीत
54. पेरा 168	अनिर्णीत
55. पेरा 19	अनिर्णीत
56. पेरा 21	अनिर्णीत
57. पेरा 22	अनिर्णीत
58. पेरा 23	अनिर्णीत
59. पेरा 25	अनिर्णीत
60. पेरा 31	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1995-96:-

1.	पैरा 4	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7	अनिर्णीत
5.	पैरा 8	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7.	पैरा 10	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
Sr.No. 8(ब)	पैरा 11	निर्णीत
9.	पैरा 11(बी)	निर्णीत
10.	पैरा 12	अनिर्णीत
11.	पैरा 13	अनिर्णीत
12.	पैरा 14	अनिर्णीत
13.	पैरा 15	अनिर्णीत
14.	पैरा 16	निर्णीत
15.	पैरा 17	अनिर्णीत
16.	पैरा 18	निर्णीत
17.	पैरा 19(ए)	निर्णीत
18.	पैरा 19(बी,सी,डी,ई)	अनिर्णीत
19.	पैरा 20	अनिर्णीत
20.	पैरा 21	अनिर्णीत
21.	पैरा 22	अनिर्णीत
22.	पैरा 23	अनिर्णीत
23.	पैरा 24	अनिर्णीत
24.	पैरा 25	अनिर्णीत
25.	पैरा 26	अनिर्णीत
26.	पैरा 27	अनिर्णीत
27.	पैरा 28	अनिर्णीत
28.	पैरा 29	अनिर्णीत
29.	पैरा 30	अनिर्णीत
30.	पैरा 31	अनिर्णीत

31. पेरा 32 अनिर्णीत
32. पेरा 33 अनिर्णीत
33. पेरा 34 अनिर्णीत
34. पेरा 35 अनिर्णीत
35. पेरा 36 अनिर्णीत
36. पेरा 37 अनिर्णीत
37. पेरा 38 अनिर्णीत
38. पेरा 39 अनिर्णीत
39. पेरा 40 अनिर्णीत
40. पेरा 41 अनिर्णीत
41. पेरा 42 अनिर्णीत
42. पेरा 43 अनिर्णीत
43. पेरा 44 अनिर्णीत
44-ब 44. पेरा 45 अनिर्णीत
45. पेरा 46 अनिर्णीत
46. पेरा 47 अनिर्णीत
47. पेरा 48 अनिर्णीत
48. पेरा 49 अनिर्णीत
49. पेरा 50 अनिर्णीत
51. पेरा 51 अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1996-97:-

1. पेरा 4(1) निर्णीत
2. पेरा 4(2) अनिर्णीत
3. पेरा 4(3) अनिर्णीत
4. पेरा 4(4) अनिर्णीत
5. पेरा 4(5) निर्णीत
6. पेरा 4(6)(क) अनिर्णीत
7. पेरा 4(6)(ख) निर्णीत
8. पेरा 4(6)(ग) अनिर्णीत
9. पेरा 4(7) निर्णीत

10. पैरा 4(8)	निर्णीत
11. पैरा 4(9)	निर्णीत
12. पैरा 4(10)(1)	अनिर्णीत
13. पैरा 4(10)(2)	अनिर्णीत
14. पैरा 4(11)	अनिर्णीत
15. पैरा 4(12)	निर्णीत
16. पैरा 4(13)	अनिर्णीत
17. पैरा 4(14)	अनिर्णीत
18. पैरा 4(14)(8)	निर्णीत
19. पैरा 4(15)	अनिर्णीत
20. पैरा 5(1)	अनिर्णीत
21. पैरा 5(2)	अनिर्णीत
22. पैरा 5(3)	अनिर्णीत
23. पैरा 5(4)	अनिर्णीत
24. पैरा 6(क)	निर्णीत
25. पैरा 6(ख)	निर्णीत
26. पैरा 6(ग)	निर्णीत
27. पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
28. पैरा 6(ङ.)	अनिर्णीत
29. पैरा 6(च)	अनिर्णीत
30. पैरा 6(छ)	निर्णीत
31. पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
32. पैरा 7(मद सं. 5,6,10व 13	निर्णीत
(अन्य मदें)	अनिर्णीत
33. पैरा 8	अनिर्णीत
34. पैरा 9(क)	अनिर्णीत
35. पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
36. पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
37. पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
38. पैरा 10	अनिर्णीत
39. पैरा 11(1)	अनिर्णीत

40. पेरा 11(2) अनिर्णीत
41. पेरा 11(3) अनिर्णीत
42. पेरा 12(1) अनिर्णीत
43. पेरा 12(2) अनिर्णीत
44. पेरा 12(3) * अनिर्णीत
45. पेरा 12(4) अनिर्णीत
46. पेरा 12(5) अनिर्णीत
47. पेरा 12(6) अनिर्णीत
48. पेरा 12(7) अनिर्णीत
49. पेरा 12(8) अनिर्णीत
50. पेरा 12(9) अनिर्णीत
51. पेरा 12(10) अनिर्णीत
52. पेरा 13(क) अनिर्णीत
53. पेरा 13(ख) अनिर्णीत
54. पेरा 13(ग) अनिर्णीत
55. पेरा 13(घ) अनिर्णीत
56. पेरा (ङ.) अनिर्णीत
57. पेरा 13(च) अनिर्णीत
58. पेरा 13(छ) अनिर्णीत
59. पेरा 13(ज) अनिर्णीत
60. पेरा 13(झ) अनिर्णीत
61. पेरा 13(ञ) अनिर्णीत
62. पेरा 13(ट) अनिर्णीत
63. पेरा 13(ठ) अनिर्णीत
64. पेरा 13(ड) अनिर्णीत
65. पेरा 13(ढ) अनिर्णीत
66. पेरा 13(ण)(1) अनिर्णीत
67. पेरा 13(ण)(2) अनिर्णीत
68. पेरा 13(ण)(3) अनिर्णीत
69. पेरा 13(त) अनिर्णीत
70. पेरा 13(थ)(1) अनिर्णीत

71. पेरा 13(घ)(2)	अनिर्णीत
72. पेरा 14(क)	अनिर्णीत
73. पेरा 14(ख)	अनिर्णीत
74. पेरा 14(ग)	अनिर्णीत
75. पेरा 15	अनिर्णीत
76. पेरा 16(क)	अनिर्णीत
77. पेरा 16(ख)	अनिर्णीत
78. पेरा 16(ग)	अनिर्णीत
79. पेरा 16(घ)	अनिर्णीत
80. पेरा 17(क)	अनिर्णीत
81. पेरा 17(ख)	अनिर्णीत
82. पेरा 17(ग)	अनिर्णीत
83. पेरा 17(घ)	अनिर्णीत
84. पेरा 18(क)	अनिर्णीत
85. पेरा 18(ख)	अनिर्णीत
86. पेरा 18(ग)	अनिर्णीत
87. पेरा 18(घ)	अनिर्णीत
88. पेरा 18(ड.)	अनिर्णीत
89. पेरा 18(च)	अनिर्णीत
90. पेरा 19(क)	अनिर्णीत
91. पेरा 19(ख)	अनिर्णीत
92. पेरा 19(ग)	अनिर्णीत
93. पेरा 19(घ)	अनिर्णीत
94. पेरा 19(ड.)(1)	अनिर्णीत
95. पेरा 19(ड.)(2)	अनिर्णीत
96. पेरा 19(ड.)(3)	अनिर्णीत
97. पेरा 20(क)	अनिर्णीत
98. पेरा 20(ख)	अनिर्णीत
99. पेरा 20(ग)	अनिर्णीत
100. पेरा 20(घ)	अनिर्णीत
101. पेरा 21	अनिर्णीत

102. पैरा 22(क)	अनिर्णीत
103. पैरा 23	अनिर्णीत
104. पैरा 24(क)	अनिर्णीत
105. पैरा 24(ख)	अनिर्णीत
106. पैरा 24(ग)	अनिर्णीत
107. पैरा 24(घ)	अनिर्णीत
108. पैरा 24(ङ.)	अनिर्णीत
109. पैरा 25(क)	अनिर्णीत
110. पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
111. पैरा 26(क)	अनिर्णीत
112. पैरा 26(ख)	अनिर्णीत
113. पैरा 26(ग)	अनिर्णीत
114. पैरा 27(क)	अनिर्णीत
115. पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
116. पैरा 28	अनिर्णीत
117. पैरा 29	अनिर्णीत
118. पैरा 30(क)	अनिर्णीत
119. पैरा 30(ख)	अनिर्णीत
120. पैरा 30(ग)	अनिर्णीत
121. पैरा 30(घ)	अनिर्णीत
122. पैरा 30(ङ.)	अनिर्णीत
123. पैरा 30(च)	अनिर्णीत
124. पैरा 30(छ)	अनिर्णीत
125. पैरा 31(क)	अनिर्णीत
126. पैरा 31(ख)	अनिर्णीत
127. पैरा 31(ग)	अनिर्णीत
128. पैरा 31(घ)	अनिर्णीत
129. पैरा 31(ङ.)	अनिर्णीत
130. पैरा 31(च)	अनिर्णीत
131. पैरा 31(छ)	अनिर्णीत
132. पैरा 31(ज)	अनिर्णीत

133.	पेरा (ब)(1)	अनिर्णीत
134.	पेरा 31(ब)(2)	अनिर्णीत
135.	पेरा 31(ग)	अनिर्णीत
136.	पेरा 31(ट)	अनिर्णीत
137.	पेरा 32	अनिर्णीत
138.	पेरा 33(क)	अनिर्णीत
139.	पेरा 33(ख)	अनिर्णीत
140.	पेरा 34(क)	अनिर्णीत
141.	पेरा 34(ख)	अनिर्णीत
418 142.	पेरा 34(ग)	अनिर्णीत
143.	पेरा 35(क)	अनिर्णीत
144.	पेरा 35(ख)	अनिर्णीत
145.	पेरा 35(ग)	अनिर्णीत
146.	पेरा 35(घ)	अनिर्णीत
147.	पेरा 36	अनिर्णीत
148.	पेरा 37	अनिर्णीत
149.	पेरा 38	अनिर्णीत
150.	पेरा 39(क)	अनिर्णीत
151.	पेरा 39(ख)	अनिर्णीत
152.	पेरा 39(ग)	अनिर्णीत
153.	पेरा 40(क)	अनिर्णीत
154.	पेरा 40(ख)	अनिर्णीत
155.	पेरा 41	अनिर्णीत
156.	पेरा 42(क)	अनिर्णीत
157.	पेरा 43	अनिर्णीत
158.	पेरा 44(क)	अनिर्णीत
159.	पेरा 45(क)	अनिर्णीत
160.	पेरा 46	अनिर्णीत
161.	पेरा 47	अनिर्णीत
162.	पेरा 48	अनिर्णीत
163.	पेरा 49(क)	अनिर्णीत

164. पेरा 49(ख)	अनिर्णीत
165. पेरा 50	अनिर्णीत
166. पेरा 51(क)	अनिर्णीत
167. पेरा 51(ख)	अनिर्णीत
168. पेरा 52	अनिर्णीत
169. पेरा 53(1)	अनिर्णीत
170. पेरा 53(2)	अनिर्णीत
171. पेरा 54(क)	अनिर्णीत
172. पेरा 54(ख)	अनिर्णीत
173. पेरा 54(ग)	अनिर्णीत
174. पेरा 54(घ)	अनिर्णीत
175. पेरा 54(ङ.)	अनिर्णीत
176. पेरा 54(च)	अनिर्णीत
177. पेरा 54(छ)	अनिर्णीत
178. पेरा 55	अनिर्णीत
179. पेरा 56	अनिर्णीत
180. पेरा 57(क)	निर्णीत
181. पेरा 57(ख)	निर्णीत
182. पेरा 58 (क)	अनिर्णीत
183. पेरा 58(ख)	अनिर्णीत
184. पेरा 59	अनिर्णीत
185. पेरा 60	अनिर्णीत
186. पेरा 61(क)	अनिर्णीत
187. पेरा 61(ख)	अनिर्णीत
188. पेरा 62(क)	अनिर्णीत
189. पेरा 62(ख)	अनिर्णीत
190. पेरा 63	अनिर्णी
191. पेरा 64(क)	अनिर्णीत
192. पेरा 64(ख)	अनिर्णीत
193. पेरा 64(ग)	अनिर्णीत
194. पेरा 64(घ)	अनिर्णीत

...18...

195. पेरा 64(ङ.) अनिर्णीत
196. पेरा 65 अनिर्णीत
197. पेरा 66 अनिर्णीत
198. पेरा 67 अनिर्णीत
199. पेरा 68 अनिर्णीत
200. पेरा 69 अनिर्णीत
201. पेरा 70 अनिर्णीत
202. पेरा 71 अनिर्णीत
203. पेरा 72(क) अनिर्णीत
204. पेरा 72(ख) अनिर्णीत
205. पेरा 72(ग) अनिर्णीत
206. पेरा 73(क) अनिर्णीत
207. पेरा 73(ख) अनिर्णीत
208. पेरा 73(ग) अनिर्णीत
209. पेरा 73(घ) अनिर्णीत
210. पेरा 73(ङ.) अनिर्णीत
211. पेरा 73(च) अनिर्णीत
212. पेरा 73(छ) अनिर्णीत
213. पेरा 74 अनिर्णीत
214. पेरा 75 अनिर्णीत
215. पेरा 76 अनिर्णीत
216. पेरा 77(क) अनिर्णीत
217. पेरा 77(ख) अनिर्णीत
218. पेरा 78 अनिर्णीत
219. पेरा 79 अनिर्णीत
220. पेरा 80 अनिर्णीत
221. पेरा 81 अनिर्णीत
222. पेरा 82. अनिर्णीत
223. पेरा 83 अनिर्णीत
224. पेरा 84 अनिर्णीत

"भाग - दो"

वर्तमान लेखा परीक्षा:-

अवधि 4/97 से 3/98 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं श्री भुवन बिहारी गौतम, श्री [illegible] सिंह, श्री सुरेश गुप्ता व श्री विजय कुमार वालिया, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, एवं पार्टी द्वारा दिनांक 1.9.99 से 2.1.2000 तक किया गया। माह 9/97 एवं 3/98 के माहों के लेखाओं का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

~~इस प्रतिवेदन में क्रमशः निम्न त्रुटियों को समाविष्ट किया गया है:-~~

ले०प०पु०क्र० - 20 पर -

3. लेखा परीक्षा शुल्क:-

उपरोक्त लेखा परीक्षा का शुल्क 17,420.00 रुपये बनता है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है। मुख्य प्रशासक हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 से अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 82 द्वारा दिनांक 20.1.2000 द्वारा अनुरोध किया गया है कि अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, शिमला-2 को भेजने की अनुकम्पा करें ताकि यह राशि सरकारी कोष में जमा की जा सके।

4. अन्तिम लेखे:-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के वर्ष 97-98 के आय एवं व्यय विवरण तथा तुलन पत्र इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के वर्ष 97-98 के तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखों से सम्बन्धित निम्न टिप्पणियां अपेक्षित हैं।

(क) आय व्यय लेखों में वित्तीय घाटे को कम दिखाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने वर्ष 97-98 के आय एवं व्यय लेखों में कुल 11,83,438.27 रुपये का घाटा दिखाया गया है जोकि निम्न त्रुटियों की वजह से गलत आंका गया है और वास्तविक घाटे की राशि 33,22,796.27 रुपये बनती है जिसके कारण निम्नलिखित है:-

(1) आय एवं व्यय लेखे के स्थापना व्यय शीर्ष के अन्तर्गत वेतन व भत्तों की राशि रु0 1,12,41,512.97 दिखाई गई है इस राशि में प्राधिकरण द्वारा माह मार्च,98 को देय वेतन व मजदूरी की राशि रु0 5,93,152/-रुपये शामिल है व इसी आधार पर तुलनपत्र में प्रावधान रखा गया जबकि वास्तविक देय वेतन व मजदूरी की वास्तविक अदायगी 8,71,090/-रुपये की गई। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा वेतन व मजदूरी की देय व्यय राशि से 2,77,938/- रुपये को आय एवं व्यय लेखे में स्थापना व्यय शीर्ष में कम दर्शाया गया है जिससे प्राधिकरण का घाटा राशि रु0 277938/- रुपये से कम आंका गया है।

(2) वर्ष 97-98 के जनरल वाउचर नं. 5 के विल संख्या: 341 और 332 दिनांक 20.2.98 में जी.पी.एफ शीर्ष के अन्तर्गत राशि रु0 1244/= रुपये 3115/- रुपये काटी गई थी परन्तु जनरल वाउचर में उपरोक्त राशि का समायोजन करते समय सिर्फ राशि रु0 3114/- रुपये को ही लिया गया। इस प्रकार स्थापना व्यय शीर्ष में राशि रु0 1245/- रुपये का खर्चा कम दिखाया गया जिससे प्राधिकरण का घाटा 1245/- रुपये से कम आंका गया है।

(3) तुलन पत्र के परिशिष्ट"एफ" अचल सम्पति में रु0 64,40,990 77 रुपये की राशि दर्शाई गई है अचल सम्पति के विवरण की जांच पर पा पाया गया कि रु0 8441/- रुपये की राशि यांत्रिक टंकण की मरम्मत से सम्बन्धित थी अचल सम्पति शीर्ष में दिखाई गई है जिसके परिणाम-स्वरूप तुलन पत्र में अचल सम्पति का योग 8441/- रुपये से अधिक दिखाया गया और आय एवं व्यय खाते के अन्तर्गत कार्यालय व्यय शीर्ष में 8441/- रुपये की राशि कम दिखाई गई जिससे प्राधिकरण द्वारा अपना घाटा राशि रु0 8441/- रुपये से कम आंका गया।

(4) वर्ष 97-98 के जनरल वाउचर संख्या 4 में प्राधिकरण द्वारा 47236/- रुपये की राशि को intrest received on FDR A/c में डेबिट किया और intrest accured but not received A/c. को क्रेडिट किया यह जनरल प्रविष्टी प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1995-96 के लेखा प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5(ए) के निष्पादन हेतु डाली गई। उपरोक्त आडिट पैरा की जांच पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आडिट पैरे के निष्पादन हेतु डाली गई जनरल प्रविष्टी गलत व उल्टी डाली गई है। जिससे प्राधिकरण का घाटा दोहरी राशि रु0 94,472/- रुपये से कम आंका गया।

(5) वर्ष 97-98 के जनरल वाउचर संख्या 2 में प्राधिकरण द्वारा 882332/-रुपये की राशि को intrest received on FDR A/c में डेबिट किया और intrest received during (94-95 to 96-97) को क्रेडिट किया गया। यह जनरल प्रविष्टी प्राधिकरण द्वारा वर्ष

94-95 के लेखा प्रतिवेदन के पेरा संख्या 22(बी) के निष्पादन हेतु डाली गई है। इस उपरोक्त आडिट पेरे की जांच पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आडिट पेरे के निष्पादन हेतु डाली गई जनरल प्रविष्टी गलत व उल्टी डाली गई है। जिससे प्राधिकरण का घाटा दोहरी राशि रु० 1765664/- रुपये से कम आंका गया है।

(6) वर्ष 97-98 के जनरल वाउचर संख्या 1 में प्राधिकरण द्वारा 211097/- रुपये की राशि को Intrest receivable on FDR A/c में डेबिट किया और Intrest accrued but not received A/c को क्रेडिट किया गया है। यह जनरल प्रविष्टी प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994-95 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पेरा संख्या 22(ए) के निष्पादन हेतु डाली गई है उपरोक्त आडिट पेरे की जांच पर पाया गया कि आडिट द्वारा वर्ष 1994 में प्राधिकरण द्वारा अपने लेखों में Intrest receivable on FDR A/c में 10% ब्याज दर के स्थान पर 8% ब्याज दर से राशि रु० 211097/- रुपये के कम प्रावधान पर आपत्ति उठाई थी जिसके निपटारे हेतु अब प्राधिकरण द्वारा जरनल प्रविष्टी डाली गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि वर्ष 97-98 तक सम्बन्धित FDR,s से प्राप्त ब्याज को प्राधिकरण द्वारा सम्भवत: अपने खातों में सम्मिलित कर लिया होगा जिसका अभिलेख अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाया गया है अत: इस जरनल प्रविष्टि के कारण प्राधिकरण द्वारा अपना घाटा राशि रु० 2,11,097/-रुपये से खातों में कम दिखाया गया है।

(7) प्राधिकरण द्वारा कैश वाउचर संख्या 50 दिनांक 9.3.98 द्वारा बैंक आफ इंडिया की सिरसा शाखा के सावधि जमा खाता संख्या 4592 में जमा धनराशि रु० 22,51,000/- रुपये के भुगतान पर दिनांक 9.3.97 को ब्याज सहित 24,84,683/-रुपये की राशि प्राप्त की। ब्याज की प्राप्त राशि रु० 2,33,683/- रुपये को प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वाउचर द्वारा Intrest receivable A/c में डेबिट किया है जोकि गलत है क्योंकि वर्ष 1997 में FDR के भुगतान पर राशि रु० 219499/- रुपये का ब्याज प्राप्त कर लिया है जिसे Intrest received on FDR A/c को डेबिट किया जाना चाहिए था। Intrest receivable A/c को डेबिट करने से प्राधिकरण को घा[illegible]

शीर्ष का योग बढ़ जाने से तुलन पत्र के reserve & surplus-शीर्ष का योग घट गया है। अतः इस केश वाउचर को गलत प्रविष्टी के कारण प्राधिकरण द्वारा अपना घाटा राशि रु0 219499/- रुपये से खातों में अधिक दिखाया गया है

(3) इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की लाखों रुपये की अदायगी भी प्राधिकरण द्वारा की जानी शेष है जिस हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान तुलनपत्र में नहीं रखा गया है इस पर भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दण्ड भी लगाया जा सकता है जिससे यह घाटा और भी बढ़ सकता है।

(ख) प्राधिकरण द्वारा आंबटियों को ब्याज आय पर राशि रु0 2,86,413/-रुपये के अनुचित आयकर भुगतान बारे:-

वर्ष 97-98 के जनरल वाउचर संख्या 44 के प्राधिकरण द्वारा राशि रु0 286413/-रुपये को डेबिट किए हैं और इन्कम टैक्स ए/सी को क्रेडिट किए हैं। उपरोक्त प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया में राशि रु0 2,89,704/- रुपये ऑबंटियों से काटे गए आयकर के रूप में जमा करवाये गये दर्शाए हैं जबकि वास्तव में एक आबंटी दलजीत सिंह झरोद ने अपने आयकर के मात्र 3291/- रुपये जमा करवाये थे और शेष आबंटियों से यह राशियां रोकड़ी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से काटे जाने के उपरान्त इनकी कटौती की प्रविष्टियां सम्बन्धित खाते/रोकड व व्यक्तिगत खातों में नहीं की गई थी। अतः इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये। प्राधिकरण को चाहिए कि वह व्यक्तिगत खातों का तुरन्त निर्माण करे व प्रत्येक आदान प्रदान को खातों में प्रविष्ठ करने के उपरान्त उन्हें बन्द करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दोहरी/अधिक अदायगी न हो।

(ग) तुलनपत्र के भण्डार शीर्ष के अनुसूची "एच" की मद सं. 3 (स्टेशनरी आर्टिकल ए/सी) के अन्तर्गत 91392/-रुपये की राशि दर्शाई गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि स्टेशनरी

अर्टिकल्स का अन्तिम भण्डार "चल सम्पत्ति" शीर्ष में जोड़ा जाना चाहिए न कि भण्डार शीर्ष के अन्तर्गत। अतः भविष्य में इस व्यय को उचित व्योण वर्गीकृत उचित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) वर्ष 97-98 के जरनल वाउचर सं, 17 में उपमण्डल धर्मशाला के तलपट का समायोजन दर्शाया गया है जिसको जांच करने पर पाया गया कि सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु0 2,93,130 रुपये के स्थान पर रु0 82,878/-रुपये गलत दिखाई गई है क्योंकि उपमण्डल धर्मशाला द्वारा सावधिक जमा राशि पर वास्तव में ब्याज के रूप में 293130/- रुपये की राशि प्राप्त की है अधिविकर्ष पर वर्ष में देय ब्याज की रा राशि 210252/-रुपये को उपरोक्त अर्जित ब्याज के विरूद्ध समायोजित किया गया है जबकि इसे अलग मद के रूप में दिखाया जाना उचित था जिससे स्वतः सम्पूर्ण स्थिति परिलक्षित हो सकती है। अतः उपमण्डल धर्मशाला द्वारा दोनों ब्याज की राशियों का अन्तर तलपट पर दिखाया है जो कि उचित नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सावधिक जमा राशि के प्राप्ताव्य ब्याज व ओवरड्राफ्ट के ब्याजकी राशि को तलपट में अलग-2 दिखाया जाये।

(ङ.) प्राधिकरण द्वारा आय एवं व्यय लेखे के अन्तर्गत शीर्ष Interest on F.D.R. में दिखाई गई राशि 984959.44 रुपये और शीर्ष Interest accrued but not received में दिखाई गई राशि रु0 61,52,939.29 रुपये गलत है क्योंकि वर्ष 97-98 में प्राधिकरण द्वारा सावधिक जमा राशि पर कुल 375359.44 रुपये ब्याज ही प्राप्त किया है और बाकि की राशि समायोजन वाउचर प्रविष्टियोंद्वारा अशुद्ध व्योण को गई पर आधारित हैं अतः प्राधिकरण द्वारा अपने तुलनपत्र में दिखाई गई उपरोक्त मदों की राशियां वास्तविक राशियां नहीं है जिससे तुलनपत्र में प्राधिकरण की दिखाई गई वित्तीय स्थिति को शुद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

5. तुलन पत्र की सूची (सी) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ऋणों के कारण "हुडको" को 7,82,700.00 (7,82,70,000/-) रुपये की राशि देय थी किन्तु हुडको द्वारा स्वयं 7,95,07,000 (7,95,07,000/-) रुपये की राशि प्राप्तव्य दर्शाई जा रही थी इस प्रकार ऋणदाता संस्थान व ऋण प्राप्तकर्ता संस्थान में रखे गए ऋण सम्बन्धी लेखाओं में 12,37,000/- रुपये का दिनांक 31.3.98 को अन्तर था गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी विशिष्ट रूप से इन त्रुटियों का वर्णन किए जाने के उपरान्त भी लेखाओं के समाधान में कोई रुचि नहीं परिलक्षित हुई

प्रतिवेदनाधीन अवधि में भी प्राधिकरण द्वारा 44,50,064/- रुपये के ऋण हुडको से प्राप्त किए गए जबकि उस द्वारा प्रेषित विवरणों के अनुसार उक्त अवधि में ऋणों की अदायगी की राशि 32.97 लाख दर्शाई गई थी 11,53,170 रुपये की राशि जिसे प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1997-98 में लेखांकित किया गया था वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित थी। हुडको द्वारा ऋण की वापसी की जो राशियां वर्षावधि में प्राधिकरण से प्राप्त की गई उनके समायोजन का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	मूलधन को प्राधिकरण द्वारा वापसी की राशि	हुडको द्वारा मूलधन के खाते में समायोजित राशि
6/97	30,63,000	30,63,000
9/97	31,35,000	31,27,000
12/97	33,15,000	32,24,000
3/98	35,06,000	33,11,000

"हुडको" से प्राप्त विवरण के अनुसार प्राधिकरण से प्राप्त राशि को प्रथमतः उन द्वारा अतिरिक्त ब्याज (आयकर) व दण्ड ब्याज व तत्पश्चात सामान्य ब्याज व अन्ततः मूलधन के प्रति समायोजित किया जाता है वास्तव में प्राधिकरण द्वारा लेखाओं के समाधान के प्रति कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं जिस कारण उक्त लेखाओं में निरन्तर अन्तर चल रहा है। उक्त लेखाओं का तुरन्त समाधान करने के उपरान्त संशोधनों को अन्तिम लेखाओं में लेखांकित किया जाए।

हुडको से प्राप्त ऋणों पर 3% या 2% अतिरिक्त ब्याज (ब्याज पर कर) के कारण हुडको को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 12,30, 795 रुपये की अदायगी की गई "हुडको" द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर विकास प्राधिकरण को सम्बोधित पत्र क्रमांक: डी एच(एच) एसडीए/92/18139 दिनांक 6.1.92 द्वारा सूचित किया गया कि वित्त विधेयक 1991 द्वारा दिनांक 1.10.1991 से प्राप्त होने वाले ब्याज पर उन द्वारा 3% की दर से आयकर देय है अत: हुडको के निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज पर जो आयकर हुडको द्वारा देय बनता है उसकी अदायगी भी प्राधिकरण द्वारा की जाए वित्त विधेयक 1991 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय कर की अदायगी का स्पष्ट दायित्व हुडको का होते हुए भी उपरोक्त प्रावधानों के प्रतिकूल आयकर का दायित्व प्राधिकरण द्वारा स्वयं ग्रहण कर लिया गया जबकि विधि अनुसार आयकर की उक्त राशि प्राधिकरण द्वारा ब्याज की अदायगी की राशि से स्रोत पर काटी जानी थी व आयकर विभाग के खाते में स्वयं जमा की जानी चाहिए थी जिससे आयकर के कारण होने वाली आय से भी राज्य सरकार को वंचित किया गया व प्राधिकरण के हित को भी 12,30,795 रुपये की क्षति पहुंचाई गई जिस की उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी अपेक्षित है

त्रैमासिक अवधि की समाप्ति	आयकर की अदायगी की राशि रुपये
3/92	3394
6/92	3002
9/92	6300
12/92	14709
3/93	20154
6/93	22106
9/93	21474
12/93	31176
3/94	31047

6/94	68130
9/94	66669
12/94	[illegible] 64485
3/95	68852
6/95	73644
9/95	70508
12/95	67305
3/96	70469
6/96	73033
9/96	71500
12/96	69826
3/97	80169
6/97	89821
9/97	86307
12/97	57699
3/98	55215
6/98	1762
9/98	746
कुल जोड़=	12,89,507
अधिक अदा की गई राशि की वसूल	(-) 58,712
	12.30.795

हुडको से प्राप्त पत्र संख्या: फिन/एकाउण्टस/67/एचपी/99 दिनांक 4.2.99 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऋणों के शेष को समय सारणी से पूर्व वापसी किए जाने के कारण उन द्वारा 3,89,163 रुपये की राशि की याचना की गई क्योंकि प्राधिकरण वर्ष में सामान्य ऋण वापसी की राशियों के अतिरिक्त भी 6,74,78,230 रुपये राशि की xxxxxx अदायगी भी की गई थी इस राशि में वास्तव में ब्याज की

राशि भी सम्मिलित की गई है किन्तु ब्याज की वास्तविक गणना नहीं की गई थी तथा न ही तत्सम्बन्धी कोई लेखा बनाया गया था अथवा उपलब्ध किया गया था। उक्त राशि की अदायगी का लेखांकन भी अशुद्ध था क्योंकि केवल ऋण वापसी की वास्तविक राशि को ही ऋण वापसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था व ब्याज की अदायगी की राशि को ब्याज सम्बन्धी शीर्ष में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

कुछ प्रशासक प्राधिकरण द्वारा हुडको की उपरोक्त 3,89,163 रुपये की राशि की मांग को पत्र संख्या एक्सी-एनवीपी एवी (वी)-हुडको-री-पेमेन्ट/99-5519 दिनांक 20.7.79 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया केवल मात्र योजना सं. 13549 के प्रति समय से पूर्व ऋण मुक्त प्रभार को स्वीकृत किया गया क्योंकि अन्य किसीभी ऋण पत्र के इकरार नामे में एेसी अदायगी किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं था। इसके प्रतिकूल प्राधिकरण द्वारा यह मांग की गई कि उन द्वारा हुडको को 1606 रुपये की अधिक अदायगी की गई है तथा प्रोत्साहन स्वरूप वह 72,756 रुपये की राशि भी हुडको से प्राप्त करने के पात्र है तथा स्कीम सं. 13549 पर समय पूर्व ऋण मुक्ति प्रभार की 63900 रुपये की अदायगी को समायोजित किए जाने के उपरान्त भी हुडको द्वारा प्राधिकरण को 8356 रुपये की राशि की देयता बनती है प्राधिकरण का यह तर्क यद्यपि हुडको के पत्र संख्या: फिन/एकाउण्टस/67/एच/99, दिनांक 26.3.99 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथापि प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण का तर्कसंगत समाधान निकाले जाने के स्तर पर हुडको के नाम अपने लेखाओं में कहीं भी उपरोक्त देयता नहीं दर्शाई है। हुडको द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ऋण सम्बन्धी समस्त प्रतिभूतियों को 3,89,163 रुपये की अदायगी से पूर्व मुक्त नहीं करेंगे परिणामत: प्रतिभूतियाँ अभी भी हुडको के संरक्षण में हैं तथा इन्हें छुड़ाने का कोई भी प्रयास अभी परिलक्षित नहीं होता। अत: उपरोक्त त्रुटियों का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करें।

5. (ख) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न विवरणानुसार फेज III(1) में बी.बी.एस. के नीचे निर्माणाधीन आवासीय परिसर में 232 फ्लैटों व 31 प्लाटों के निर्माण की प्रस्तावना की गई। उक्त फ्लैटों व प्लाटों का क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है:-

फ्लैटस	श्रेणी "ए"	31.78 वर्गमीटर	= 92
	श्रेणी "बी"	62.50	-"-	= 70
	श्रेणी "सी"	77.10	-"-	= 28
	श्रेणी डी	97.70	-"-	= 42
				=232

प्लाटस

श्रेणी "बी"	120 वर्गमीटर		= 29
श्रेणी "सी"	200	-"-	= 2
			= 31

इन फ्लैटों व प्लाटों की निर्माण लागत 188694900 रु० आंकी गई थी। उक्त योजना को सम्पादित करने हेतु प्राधिकरण के निदेशक मण्डल द्वारा तृतीय बैठक दिनांक 11.7.97 की कार्य सूची की मद संख्या 3(7) द्वारा हुडको से 510 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्पर्क किए जाने पर उनके पत्र संख्या एचआई सी/ एचपीएल/एनआर दिनांक 12.11.97 द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में 450 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई। ऋण की इस राशि पर 15.90% की दर त्रैमासिक आधार पर ब्याज देय था व नियमित अदायगी के फलस्वरूप 0.50 प्रतिशत की छूट भी प्राप्य थी। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यह ऋण 88 एचआईजी/ एमआईजी फ्लैटों के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था जिनकी अनुमानित लागत 669.87 लाख रुपये बताई गई। ऋण की उपरोक्त राशि 450 लाख पर भारतीय जीवन बीमा निगम गृह वित्त द्वारा एक प्रतिशत प्रक्रिया प्रभार के कारण रसीद सं. 076642 दिनांक 31.3.98 द्वारा 4.50 लाख रुपये की राशि की कटौती कर लिए जाने के उपरान्त शेष कुल राशि 95.5 लाख रुपये की प्रथम

किश्त की अदायगी कर दी गई विशेष किश्त स्वरूप उनके चैक संख्या संख्या 64366 दिनांक 2.4.98 द्वारा 50 लाख रुपये की एकमुश्त अदायगी प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई उक्त ऋण को 1.5 करोड़ रुपये की राशि पर प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमा निगम एवं वित्त सरकार को निम्न अदायगियां की गई:-

रसीद सं. 076642 दिनांक 31.3.98 द्वारा प्राशासनिक प्रभार की अदायगी	= 450000.00
15.4 प्रतिशत की दर से दिनांक 30.6.98 तक 1.5 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज	=579609.00
दिनांक 30.9.98 तक ब्याज	= 582246.00
दिनांक 31.1298 तक ब्याज	= 582246.00
दिनांक 31.3.99 तक ब्याज	= 556932.00 12657.00
दिनांक 30.6.99 तक ब्याज	= 575918.0
दिनांक 30.9.99 तक ब्याज	= 485205.00
	=3824813.00

सरकारी कोष में जमा राशि:-

गारन्टी शुल्क 0.50 प्रतिशत की दर से 450 लाख रुपये के ऋण पर	=2,25,000
450 लाख रुपये के ऋण पर 0.1 प्रतिशत की दर से कमिटमेन्ट चार्जेज	= 45,000
	=2,70,000

दिनांक 30.9.99 तक कुल अदायगी =4094813 रुपये

उपरोक्त 1.5 करोड़ रुपये के प्राप्त ऋण की राशि के प्रति 50 लाख रुपये की निम्न विवरणानुसार वापसी भी की गई थी:-

चेक सं. 853760 दिनांक 30.6.99 द्वारा वापसी	= 25 लाख रुपये
चेक सं. 467422 दिनांक 30.9.99 द्वारा वापसी	= 25 लाख रुपये

उपरोक्त फ्लैटों/प्लाटों के निर्माण हेतु आवेदकों/ आवंटियों से निम्न वर्षों में जो राशियां प्राप्त हो चुकी थी उनका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष 1997-98	1,71,959.099
वर्ष 1998-99	1,99,396.57
	3,71,355.66

उक्त वर्षों में उपरोक्त निर्माण कार्य पर जो व्यय हुआ है उसका ब्योरा भी नीचे दिया गया है:-

वर्ष 1997-98	= 92,42,082
वर्ष 1998-99	24,84,952
	1,17,27,034

उपरोक्त आंकड़ों से स्वतः स्पष्ट होता है कि उक्त स्कीम में 3,71,35,566 रुपये की राशि उपलब्ध होने पर भी व व्यय हेतु केवल मात्र 1,17,27,034 रुपये की राशि का ही उपयोग होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम गृह वित्त निगम से 1.5 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्पष्टतः कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण प्राधिकरण व अन्ततः आंवटियों पर अनावश्यक ब्याज अभी तक दिनांक 30.9.99 तक 40,94,813 रुपये का अनावश्यक बोझ डाला गया है जो कि दिनांक 31.12.99 तक के ब्याज सहित बढ़कर 44,82,917 रुपये हो जाएगा इसके अतिरिक्त दिनांक 30.6.98 को अदा किए गए ब्याज में 1582 रुपये की राशि अधिक अदा की गई है। अनावश्यक ब्याज अपेक्षाओं के अनुरूप ऋण न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसका दायित्व निर्धारित किया जाए यदि किसी कारण ऋण लिया जाना अपरिहार्य था तो निर्माण कार्य

...32...

की प्रगति की तदनुरूप न रखे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इसके अतिरिक्त "हुडको" द्वारा 14.62% दर पर ऋण उपलब्ध था। विलम्ब से ऋण ~~उपलब्धता~~ वापसी की अदायगी हेतु हुडको को 2.5% दण्ड ब्याज स्वरूप देय थे जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 6% दण्ड ब्याज प्रभारित किया जाना था भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 450000 रुपये की प्रशासनिक प्रभार स्वरूप भी ऋण राशि से कटौती की गई जबकि यह राशि भी हुडको को देय नहीं थी व केवल 10000 रुपये की राशि ही उन्हें देय थी इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थान पर यदि हुडको से ही ऋण प्राप्त किया जाता तो भी प्राधिकरण को दिनांक 31.12.99 तक 5,91,724 रुपये की बचत होती।

6. **बैंको से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट:-**

तुलनपत्र के साथ संलग्न सूची "डी" के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बैंको से 4,21,79,025.43 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा का उपभोग किया गया था इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की उप मण्डल, धर्मशाला द्वारा भी 11,05,141 रुपये के ओवर ड्राफ्ट का उपभाग किया गया था यद्यपि नगर विकास प्राधिकरण के पास सावधि जमा रसीदों बैंको में जमा राशियों व आबंटियों से प्राप्त होने वाली राशियों के कारण पर्याप्त धन उपलब्ध था तथा ओवर ड्राफ्ट की उक्त सुविधा को प्राप्त करने की न्यायोचित कोई आवश्यकता थी तथापि नगर विकास प्राधिकरण के धन के कुप्रबन्धन के कारण प्राधिकरण पर उक्त ओवर ड्राफ्ट के कारण 12,43,459.70 रुपये का ब्याज स्वरूप वित्तीय बोझ अनावश्यक व्यय डाला गया जो कि अन्तत: आबंटियों का अनावश्यक व्यय प्रभारित किया जाएगा। ओवर ड्राफ्ट पर दिए गए उपरोक्त ब्याज का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

.....33...

अदायगी की तिथि	ब्याज की राशि
30.6.97	4,14,752.92
-"-	1,03,467.00
31.12.97	52,029.00
-"-	2,25,456.51
-"-	1,51,613.00
-"-	78,592.01
-"-	801.14
31.3.98	6,496.12
धर्मशाला उपमण्डल द्वारा ब्याज की अदायगी	2,10,252.00
कुल राशि	12,43,459.70 रुपये

प्राधिकरण के पास पर्याप्त धन होते हुए भी ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अंकेक्षण को उपलब्ध कराई जाए या प्राधिकरण को इस कारण पहुंचाई गई 12,43,459.70 रुपये की क्षति का दायित्व निर्धारित किया जाए व यथोचित वसूली सुनिश्चित की जाए जिससे आबंटियों के हितों का संरक्षण हो सके।

8.7. तुलनपत्र अनुसूची "ई":-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला के वित्त वर्ष 1997-98 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में चल दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत आवेदकों/आंबटियों से प्राप्त अर्नेस्ट मनी तथा डिपोजिट्स दिखाए गए हैं जैसा कि "शेड्यूल ई" से स्पष्ट है शेड्यूल ई में 31.3.98 तक अर्नेस्ट मनी से 16,56,31, 56100 रुपये तथा डिपोजिट्स से 74,18,76,481.35 रुपये प्राप्ति दिखाई गई है। उपरोक्त राशियों को चल दायित्व शीर्ष के तहत दिखाया ठीक नहीं है। अर्नेस्ट मनी के खाते में समस्त आवेदकों द्वारा जो राशियां दी गई हैं जमा हैं। जबकि अर्नेस्ट मनी के उस भाग को

आबंटियों से प्राप्त राशि के अन्तर्गत वर्गीकृत कर दिया जाना अपेक्षित था जिसमें आंबटन कर दिया जा चुका हो व उनसे आंबटन राशियां भी प्राप्त हो चुकी हों। दायित्व पक्ष में केवल आंबटियों को उस राशि को ही रखा जाना उपयुक्त होगा जिसका अभी आबंटन किया जाना हो व आंबटियों से अभी किश्तें प्राप्त की जानी हों। जिन मामलों में निर्मित आवासों का आंबटियों को कब्जा दिया जा चुका हो उनमें उन द्वारा जमा राशि को अनावश्यक रूपेण आर्नेस्ट मनी के रूप में रखा जाना अनुचित है अन्य प्रकरणों में जहाँ आबंटियों द्वारा किसी योजना पॉलिसी से बाहर होने का आवेदन किया जाता है उनमें आवेदकों द्वारा जमा आर्नेस्ट मनी को विभिन्न दरों पर जब्त किया जाता है। उनमें जब्त आर्नेस्ट मनी की राशि को उस वर्ष की आय में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार आंबटियों से प्राप्त राशि को केवल इसी सीमा तक दायित्व पक्ष में लिया जाना उपयुक्त होगा जब तक कि निर्मित आवासों का कब्जा उन्हें नहीं दे दिया गया हो तो आंबटियों से प्राप्त राशि को प्रतिवर्ष प्राप्तव्य राशियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। जिससे न केवल निर्मित कार्यों की पूर्णता व मूल्य की वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो अपितु आंबटियों से प्राप्त होने योग्य राशि का भी शुद्ध आकलन हो सके जो कि वर्तमान व्यवस्था /प्रणाली में नहीं हो रहा है। नगर विकास प्राधिकरण के लेखाओं में अभी तक कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं रखे गए हैं जिनसे यह ज्ञात हो सके कि किसी समय में आबटियों से कितने रुपये प्राप्त होने योग्य हैं।

पैरा-8.(क)

तुलनपत्र वर्ष 1997-98 अनुसूची "एच":-

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न मण्डलों के स्टांक के बिन कार्डों में दर्शायी मात्रा के अनुसार रुपये 25,14,913/- का 31.3.97 को स्टॉक शेष था। लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार स्टॉक का डेबिट शेष ही किताबों में होना चाहिए लेकिन इसके विपरीत मुख्यालय के लेजर पृष्ठ 381 पर 31.3.97 को स्टॉक का क्रेडिट शेष रु. 41,18635.28 दर्शाया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि राशि रुपये 41,18,635.28 का स्टॉक रु. 2514913.00 के स्टाक

के अतिरिक्त भी जारी कर दिया गया अर्थात कुल रुपये 6633548.28 [4118635.28+ 2514913.00] का स्टाक क्रमात्मक है स्टाक का उपयोग/जारी मात्रा मूल्य किसी भी स्थिति में अवधि में खरीदे गए स्टाक से ज्यादा नहीं हो सकता। परिशिष्ट "ख" में दी गई लेजर की कापी के अनुसार वर्ष 1997-98 में निम्न लिखित अनुसार स्टाक को डेबिट किया गया:-

मण्डल - I

खरीद	= 93411.00
स्टाक की वापसी	= 36711.00
कैरियरज	1400.00
	1,31,522.00

मण्डल - II

खरीद	=	2,30,49,864.00
स्टाक की वापसी	=	~~36,711.00~~ 260,549.00
कैरियरज	=	3,80,147.00
लोडिंग/अनलोडिंग	=	94,071.00
श्री आई.सी.शर्मा	=	1,76,364.00
	=	2,39,60,995.00

विज्ञापन मण्डल:-

खरीद	= 260504.00
लोडिंग अनलोडिंग	= 70898.00
	331402.00

कुल: 2,44,23,919.00

लेकिन वास्तव में 31.3.97 को स्टॉक रु. 25,14,913.00 जमा खरीद/डेबिट रु. 2,44,23,919.00 घटा लेजर के अनुसार उपयोग/क्रेडिट रु.{2,57,52,556 + 82176.00} के बाद रु.{11,86,276-82176} का स्टॉक शेष 31.3.98 को रहना चाहिए था जबकि बिन कार्ड के अनुसार 31.3.98 को शेष 23,09,193+ {डी.एस.एल} बनता है जबकि इन सब के विपरीत लेजर में क्रेडिट शेष रु. 63,41,471.28 दर्शाया गया है ।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के लेख {एकाउंट्स} सामान्य लेखांकन सिद्धान्तों/परम्पराओं एवं पी.डब्ल्यू डी. एकाउंट कोड के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखे जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त आज तक इन लेखों के समाशोधन {Reconcilation} के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किए गए हैं ।

स्टॉक में उत्पन्न हुई इस स्थिति से पहले ही बचा जा सकता था यदि प्राईस्ड स्टोर लेजर का रख-रखाव किया गया होता एवं स्टॉक जारी करने के मूल्यांकन हेतु कोई भी मान्य पद्धति उदाहरणार्थ प्रथम आवक प्रथम जावक {Fifo} अन्तिम आवक प्रथम जावक {Lifo} या औसत मूल्य पद्धति एवं अन्य मान्य सिद्धान्तों का पालन किया गया होता ।

अत: भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने हेतु इनका समाशोधन {Reconcilation} किया जाए एवं लेखांकन उचित पद्धति से किया जाए ।

पेरा 8 {ख} बैलैंस शीट शैड्यूल बी मद 1 एवं शैड्यूल एच मद 2 :-

उपरोक्त में स्टॉक स्टोरेज खाता वर्ष 1997-98 के लिए मु0 7,83,102.93 एवं स्टॉक सस्पैंस खाता रु{-} 6341471.28 दर्शाया गया है । जबकि मुख्यालय के समायोजन वाउचर संख्या: 16 वर्ष 97-98 के अनुसार रुपये 342869.00 का स्टाक धर्मशाला को ट्रांसफर किया गया था जिसे कि स्टॉक स्टोरेज खाते में डैबिट कर दिया गया जबकि यह स्टॉक सस्पैंस {धर्मशाला} को डैबिट होना चाहिए था । इसके फलस्वरूप स्टाक स्टोरेज खाता अनुचित

रूप से रू. 342869.00 से बढ़ गया एवं स्टॉक ससपैंस खाता कम हो गया । अत: इसका उचित समायोजन किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. (ग) प्राधिकरण द्वारा भण्डार सम्बन्धी खर्चों का ठीक मद में समायोजन न करने बाबत ।

विभिन्न मण्डलों की जनरल लैजरों के स्टॉक स्टोरेज एवं स्टॉक ससपैंस के खातों का अवलोकन करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई ।

(क) लेखांकन के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार माल की खरीद से लेकर स्टोर में रखने तक के व्यय स्टॉक का ही अंश माने जाते हैं एवं उसके बाद के रख-रखाव इत्यादि के खर्चे स्टोरेज में डाले जाते हैं लेकिन निम्न लिखित राशियां स्टॉक स्टोरेज में डाली गई हैं जबकि ये स्टॉक ससपैंस का अंश होनी चाहिए ।

मण्डल	वा.सं./दिनांक	राशि (रू.)	टिप्पणी
I	52/31.1.98	1400.00	स्टोर तक कैरियज
डिजाईन	25/11.4.97	49721/-	अनलोडिंग (स्टोर में)
-"-	27/11.4.97	19682/-	-"-
-"-	14/25.7.97	1495/-	-"-
II	90/30.4.97	360/-	-"-
II	100/30.5.97	2411/-	-"-
II	75/30.6.97	1339/-	-"-
II	7/1.8.97	56926/-	कैरियज (स्टो तक)
II	67/27.8.97	996/-	अनलोडिंग (स्टोर में)
II	67/27.8.97	6000/-	कैरियज (स्टोर तक)
II	89/29.8.97	2250/-	-"-
II	70/27.8.97	52[illegible]/-	-"-
II	102/29.8.97	24439/-	-"-
II	68/23.9.97	720/-	अनलोडिंग (स्टो में)
II	31/11.12.97	2070/-	-"-
II	65/29.1.98	54[illegible]/-	-"-

II	91/31.3.98	720	अनलोडिंग (स्टोर में)
II	20/6.3.98	44000	कैरिज (स्टोर में)
II	76/23.7.97	6010	-"-
II	96/29.7.97	20800	-"-
II	76/23.7.97	1086	अनलोडिंग (स्टोर में)
II	107/30.7.97	3590	-"-
		2,84,965	

अतः उपरोक्त राशि रु. 2,84,065 रुपये से स्टॉक स्टोरेज को ज्यादा डैबिट कर दिया गया जिससे स्टॉक कम हो गया अतः उपरोक्त त्रुटि का समायोजन करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत करवाया जाए ।

(ख) मण्डल-II के वाउचर संख्या 11 दिनांक 3.1.98 द्वारा रुपये 7861 का पेन्ट इत्यादि का सामान स्टोर के कार्य के लिए खरीदा गया लेकिन उसे स्टॉक ससपेंस में डाल दिया गया जबकि इसे स्टॉक स्टोरेज में डालना चाहिए था ।

इसके इलावा मण्डल-I के वाउचर संख्या 47 दिनांक 29.11.97 द्वारा रुपये 94 का बैंक व्यय ड्राफ्ट बनाने के लिए किया जिसे स्टॉक स्टोरेज में डाल दिया गया जबकि इसे कार्यालय व्यय को चार्ज किया जाना चाहिए था ।

उपरोक्त त्रुटियों का उचित समायोजन करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

पैरा 9. तुलन पत्र के परिशिष्ट आई.ए. के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न फर्मों, ठेकेदारों व इसके अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को 91,98,282,83 रु. देनदार दर्शाया गया है । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त राशियों को वसूल करने हेतु कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किए गए । इनमें से कई वसूलियां दस वर्षों से भी अधिक समय से की जानी शेष है व वसूलियां करने की गति इतनी धीमी है कि प्राधिकरण द्वारा अपने ही कर्मचारियों से

302134.17 रुपये की वसूली की जानी शेष है । लेखाओं का रख-रखाव भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि परिशिष्ट "ई" ए में प्राधिकरण द्वारा अपने को ही अपने अधिशाषी अभियन्ता/सी-III का 100026रुपये लेनदार दर्शाया गया है जोकि वास्तविकता के प्रतिकूल प्रतीत होता है क्योंकि उक्त अधिकारी को समस्त राशियां स्वयं ही मुख्य खाते से उपलब्ध कराई जाती हैं तथा उसका अपना कोई आय का अलग स्त्रोत नहीं है । लेनदारी के समस्त खातों का गम्भीर अध्ययन करके तुरन्त इन्हें समाप्त/समायोजित किया जाए ।

पैरा 10. तुलनपत्र के परिशिष्ट "एम" व "एन" विभिन्न प्राप्तियों की मद संख्या 4 "गाड़ियों से प्राप्त आय" में दिखाई गई काल्पनिक राशि मु0 703982/=रुपये बारे :-

---

प्राधिकरण के पास वर्ष 1997-98 में 14 नं. गाड़ियां थी जिनके ऊपर वर्ष में 10,32,127/=रुपये का खर्चा दर्शाया गया है । प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र को मद्देनजर रखते हुऐ गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है जिसे कम करने का सुझाव दिया जाता है ।

प्राधिकरण द्वारा अपनी 14 नं. गाड़ियों से वर्ष 1997-98 में कुल 703982/=रुपये की आय विभिन्न प्राप्तियां शीर्ष के अन्तर्गत आय एवं व्यय लेखों में दर्शाई गई है । उपरोक्त गाड़ियों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि इन गाड़ियों से वास्तव में कोई आय प्राप्त नहीं हुई है । समायोजन वाउचरों द्वारा गाड़ियों की आउट टर्न को आधार मान कर उक्त आय की राशि का विभिन्न मदों, जैसे निर्माण कार्य कार्यालय कन्टीजेन्सी व विभिन्न प्राप्तियों में अवास्तविक व्यय दर्शाकर उसे अन्यथा आय के रूप में लिया गया है । केवल गाड़ी के निर्माण कार्य से सम्बन्धित होने के कारण गाड़ी के उपयोग की राशि को निर्माण कार्यों के विरुद्ध प्रभारित किया जा सकता था न कि समस्त व्यय को पूंजीगत किया जाना चाहिए था । इस अतिरिक्त यदि इस प्रकार विचार प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति को ठीक मान लिया जाए तो भी तथाकथित प्राप्त आय का लाभ पूंजीगत लेखाओं को ही दिया जाना चाहिए था न कि काल्पनिक आधार पर आय के आंकड़े बढ़ाकर/

उदाहरण के रूप में निर्माण मण्डल नं.-1 की गाड़ियों से प्राप्त आय का मदवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है । अन्य निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित गाड़ियों की अवट टरन के लेखे लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ।

क्रमांक	गाड़ी का नं.	समा.प्रा.सं.व दिनांक	कुल राशि	कार्यालय	निर्माण एजेन्सी/कार्य	अन्य प्राप्तियां
1.	एच.पी.-03-1632	1/97-98-2.6.98	101069	66045	3696	31328
2.	एचपी-03-1632	2/97-98-2.6.98	89903	79324	4529	6050
3.	एचआईएस-3228	3/97-98-2.6.98	41768	19467	शून्य	22301
4.	एचआईएस-2453	4/97-98-3.6.98	58975	11781	44429	2765
5.	एचपी-51-1145	5/97-98-3.6.98	33526	2480	26040	5006
		योग:	325241	179097	78694	67450

अतः निर्माण मण्डल नं. 1 की उपरोक्त गाड़ियों से प्राप्त कुल आय मु0 325241/-रुपये की राशि में से 67450/-रुपये की राशि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त दर्शाई गई है जबकि वास्तव में प्राप्त नहीं की है जिसको तुरन्त वसूल किया जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

पेरा 11. निर्मित योजनाओं के लागत लेखे तैयार करने बारे :-

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला के वित्त वर्ष 1997-98 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा तुलन पत्र में सम्पत्ति पक्ष में "वर्क इन प्रोग्रेस" के तहत मु0 92,35,16,125.69रुपये का व्यय किया गया दर्शाया है । इस समस्त व्यय का योजनावार विवरण तुलन पत्र के "शेड्यूल जी" में दिया गया है । प्राधिकरण द्वारा सोशल हाउसिंग स्कीम (कुसुम्पटी जोनल सैन्टर) फेस I व 2 रेसीडेन्शियल कॉम्पलेक्स (बी.सी.एस. के नीचे) फेस I व 2 तथा कमर्शियल कॉम्पलेक्स (कुसुम्पटी जोनल सैन्टर) के तहत जितना भी निर्माण कार्य किया गया है व पूर्ण कर दिया गया है तथा अनेक आवासों में आबंटी निवास भी कर रहे हैं । इन आवासों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी इन्हें अभी "वर्क इन प्रोग्रेस" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । जैसा कि उपरोक्त

से स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण द्वारा अनेक योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है । किन्तु इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित आवासों, दुकानों आदि के मूल्य लेखे प्राधिकरण द्वारा विधिवत तैयार नहीं किए जा रहे हैं तथा समस्त मूल्य केवल आंकलन के आधार पर ही वसूला जा रहा है तथा इसी आधार पर आवंटियों से वसूल की जा रही/की गई किश्तों का निर्धारण किया गया है । समस्त योजनाओं/आवासों /प्लाटों आदि के मूल्य लेखे तैयार किए जाये व आगामी लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित करें ।

पैरा 12. नियमों के विरुद्ध आवंटियों को आवास की पूर्ण कीमत जमा करवाने पर शेष लागत के स्थान पर कुल लागत पर 10% छूट के प्रदान करने से प्राधिकरण को 20,05,570.00रुपये की हानि बारे में :-

आवंटियों के खाता बहियों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित आवंटियों को प्राधिकरण ने फ्लैट की शेष कीमत को इकट्ठा लेने पर 10% छूट फ्लैट की पूर्ण कीमत पर दी है । परन्तु ब्रोचर की जांच करने पर पाया गया कि आवंटी को 10% छूट केवल फ्लैट की शेष कीमत पर ही दी जानी अपेक्षित थी । ब्रोचर की इस प्रमुख शर्त को बदलने के लिए सक्षम अधिकारी के कोई भी आदेश लेखा परीक्षा के दौरान नहीं दिखाए गए । फाईलों में भी इस बारे कोई भी आदेश उपलब्ध नहीं हुए । इससे यह प्रतीत होता है कि ब्रोचर की शर्तों को अनदेखा करते हुए निम्नलिखित आवंटियों को पूर्ण कीमत पर छूट नियमों से हटकर अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दी गई थी । इस प्रकार अनुचित प्रक्रिया अपनाकर इन आवंटियों को 20,05,570रुपये का एक ओर अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा दूसरी ओर प्राधिकरण को कुल 20,05,570.00रुपये की हानि उठानी पड़ी, जिसकी जांच की जाए और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए ।

...42.

+...

1. क्रमसंख्या	2. अवधि	3. रजिस्ट्रेशन संख्या	4. आवंटी का नाम	5. कुल कीमत	6. कुल छूट	7. शेष कीमत	8. शेष छूट	[illegible]
1.	11/97	11760	श्रीमती पूनम सिंह	7,39,191-00	73919-00	2,81,500-00	28,150-00	[illegible]
2.	8/97	11755	डा. शोभा शर्मा	7,16,339-00	71,634-00	2,81,500-00	28,150-00	[illegible]
3.	12/98	11629	श्रीमती कुसुम [illegible]	5,25,346-00	52,535-00	1,81,200-00	18,120-00	34,415-00
4.	2/98	11630	जनरल मैनेजर एच.पी.एम.सी.	37,45,274-00	3,74,527-00	33,23,674-00	3,02,367-00	72,160-00
5.	6/98	11,632	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	5,17,148-00	51,715-00	1,81,200-00	18,120-00	33595-00
6.	7/98	11634	श्री राजेश कुमार दास	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27432-00
7.	8/98	11635	श्री देस राज सिंह	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27432-00
8.	10/98	11637	श्रीमती निर्मला शर्मा	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27,432-00
9.	2/98	11627	जनरल मैनेजर [illegible]	27,33,108-00	2,73,311-00	10,87,200-00	1,08,720-00	1,64,591-00
10.	7/98	11624	श्री आर.के. [illegible]	4,73,955-00	47,396-00	1,81,200-00	18,120-00	29,276-00
11.	4/98	11623	श्रीमती सुशीला [illegible]	5,26,985-00	52,698-00	1,81,200-00	18,120-00	34578-00
12.	12/97	11620	मिस चन्द्रा महाजन	5,71,463-00	57,146-00	1,81,200-00	18,120-00	34526-00
13.	12/97	11616	[illegible] कम्पनी लिमिटेड	39,06,382-00	3,90,638-00	14,65,200-00	1,46,520-00	2,44,118-00
14.	9/97	11602	श्रीमती [illegible] देवी	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27,432-00

1. क्रम संख्या	2. [illegible]	3. रजिस्ट्रेशन नं.	4. आवंटी का नाम	5. कुल कीमत	6. कुल छूट	7. शेष कीमत	8. शेष छूट	9. [illegible]
15.	10/97	11606	श्री राकेश शर्मा	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27[illegible]
16.	10/97	116[illegible]	श्रीमती शान्ति देवी	5,25,346-00	52,534-00	1,81,200-00	18,120-00	34[illegible]
17.	3/98	11628	सहायक आयुक्त [illegible] कार्यालय [illegible]	1,16,60,423-00	11,66,042-00	46,64,169-00	4,66,416-00	6,99,6[illegible]
18.	10/98	11640	[illegible] आयकर विभाग	15,57,134-00	1,55,713-00	6,22,854-00	62,285-00	93,4[illegible]-00
19.	6/99	11642	श्री हरि सिंह	4,55,518-00	45,552-00	1,81,200-00	18,120-00	27,4[illegible]-00
20.	6/99	11643	क्षेत्रीय प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर	36,46,652-00	3,64,665-00	29,17,322-00	2,91,732-00	72,9[illegible]
21.	9/98	11858	श्री बलविन्द सिंह	2,41,775-00	24,177-00	96,440-00	9,644-00	14,533-00
22.	7/98	11857	श्री सुभाष गोयल	2,41,775-00	24,178-00	96,440-00	9,644-00	14,534-00
23.	4/98	11856	श्री रमेश चन्द्र	2,18,109-00	21,811-00	1,52,298-00	15230-00	6,581-00
24.	3/98	11524	श्रीमती आशा रानी	6,78,890-00	67,889-00	2,74,698-00	27,470-00	40,419-00
25.	10/97	11761	श्री प्रमोद शर्मा	7,39,191-00	73,919-00	2,95,676-00	29,568-00	44,351-00
26.	10/97	11758	श्री [illegible]	7,39,191-00	73,919-00	2,81,500-00	28,150-00	45769-00
27.	3/98	11525	डा. अमित गुप्ता	6,00,030-00	60,003-00	2,71,165-00	27,117-00	32,886-00
			कुल योग :	3,80,41,815-00	38,04,181-00	17,96,036-00	17,98,603-00	2905576

पैरा 12. प्राधिकरण द्वारा श्री बलबीर सिंह को प्लाट आंबटन की शर्तों के
(ख) विरुद्ध ब्याज की 71,311.00रुपये राशि की वसूली माफ करने बारे में:

आबंटी श्री बलबीर सिंह को रजिस्ट्रेशन नं. 4040 4/पी. एस.एफ.एस./प्लाट हो पत्र संख्या 12024-36 दिनांक 14.10.91 आबंटी फाईल पेज 22 से 24 द्वारा आबंटित किया गया है। जिसका कब्जा आबंटी द्वारा 15.11.91 को फाईल पेज 32 द्वारा लिया गया है है। कार्यालय पत्र संख्या 9935-36 दिनांक 31.12.96 फाईल पेज 37 के अनुसार आंबटी से 3,77,979.00रुपये बकाया राशि के रूप में ~~जनवरी~~ जनवरी 1997 तक ~~रुपये~~ बताये गये थे। (छाया प्रति संलग्न है) जिसमें 7055.00रुपये ग्राउन्ड रैन्ट के ब्याज तथा 63456.00रुपये किश्तों के ब्याज के रूप में लगाये गए थे। कार्यालय पत्र संख्या: 3079-80 दिनांक 15.5.98 फाईल पेज 40 से 41 (छाया प्रति संलग्न) के पैरा नं. 2 के अनुसार उपरोक्त ब्याज मुख्य प्रशासक द्वारा रद्द कर दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री बलबीर सिंह को नियमों/प्रथा से हटकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है क्योंकि निम्नलिखित आबंटियों से ग्राउन्ड रैन्ट व किश्तों का ब्याज की राशि प्राधिकरण द्वारा वसूल की गई है।

क्र.सं.	आबंटी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.	ब्याज ग्राउन्ड रैन्ट पर	किश्तों पर ब्याज	अवधि
1.	मिसिज गौरा गौतम	4793	2153.00	17547/-	1/98 से 9/97
2.	श्री डी.आर.वर्मा	4790	3501.00	46339.00	3/98 से 11/97

12. (ग) प्लाट आबंटन की शर्तों के विरुद्ध आबंटी को राशि रु0 21,833.00 रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने बारे में:-

आबंटी खाता बही की जांच करने पर पाया गया कि आबंटी श्री कमलेश कुमार वरिष्ठ वास्तुकार हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला-2 को 7/एच.एफ.एस.(प्लाट नं. 70 टाईप बी 6587 आबंटित किया गया है। पत्र फाईल ये रजिस्ट्रेशन नं. 5/पी.एस.एफ.एस.स्कीम को आबंटित किए गए हैं, सिर्फ इसी आबंटी को ये नं. 7/एस.एफ.एस.स्कीम के अन्तर्गत आबंटित

किया गया है । जबकि 1998 को आंबटी को अतिरिक्त भूमि आंबटित की गई जिसका ,मुल्य 56900.00रुपये दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आंबटी ने मुल्य को स्वीकार करते हुए उसकी अदायगी जनवरी 1998 में 15000.00रुपये इकट्ठी और फरवरी 1998 से 3551 के स्थान पर 4629.00रुपये किश्त के रूप में देनी शुरू कर दी, तत्पश्चात 10 महीने के बाद 7/99 को आंबटी के कहने पर उस अतिरिक्त भूमि के मुल्य में (56900.0 - 35142.00) 21030.00रुपये की कमी कर दी गई, क्योंकि आंबटी के कथनानुसार यह भूमि विकसित नहीं थी बल्कि ऊबड़-खाबड़ भूमि थी । और आंबटी का यह कथन प्राधिकरण के इंजनीयरों ने भी स्वीकार कर लिया । इससे प्रतीत होता है कि प्राधिकरण का ये प्लाट विकसित नहीं था तो आंबटी ने शुरू में इस अतिरिक्त भूमि के मूल्य को क्यों स्वीकार कर लिया था, यदि स्वीकार कर लिया था तो जनवरी 1998 से लेकर जुलाई 1998 तक क्यों आपत्ति नहीं उठाई गई कि ये प्लाट अविकसित है । और प्राधिकरण ने भी इस प्लाट को पहले विकसित कैसे दर्शाया गया था, यदि विकसित दर्शाया ही गया था तो बाद में आंबटी के कथनानुसार इसे क्यों अविकसित कर दिया गया । अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाए कि आंबटी को अतिरिक्त भूमि के मुल्य में किन नियमों के अन्तर्गत कटौती दी गई ।

12(घ) **प्राधिकरण द्वारा श्री एस.आर.आर्या को प्लाट आंबटन की शर्तों के विरूद्ध ब्याज की 20,034.00रुपये राशि की वसूली माफ करने बारे**

आंबटी खाता बही की जांच करने पर पाया गया कि आंबटी श्री एस.आर.आर्या को रजिस्ट्रेशन संख्या 4016 4/पी.एस.एफ.एस./प्लाट बी पत्र संख्या 6037-39 दिनांक 5.6.91 फाईल पेज 23 से 25 के द्वारा आंबटित किया गया है । जिसका कब्जा आंबटी द्वारा 6.5.96 फाईल पेज 80 द्वारा लिया गया, फाईल पेज 71 के अनुसार आंबटी से भूमि अधिग्रहण पर देय ब्याज की राशि के 20,034.00रुपये बकाया के रूप में बताए गए थे । जबकि फाईल पेज संख्या 78 के अनुसार 20,034.00रुपये उससे समायोजित कर लिये गए। परन्तु बाद में आंबटी के पत्र द्वारा फाईल पेज 81 से 83 में आग्रह करने

पर कार्यालय पत्र संख्या 31811-82 दिनांक 19.5.96 को मुख्य प्रशासक द्वारा आंबटी को भूमि अधिग्रहण पर देय ब्याज की राशि 20,034.00 को रदद कर दिया गया ।

अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि आंबटी श्री एस.आर. आर्य को प्राधिकरण के द्वारा अपने नियमों से हटकर के अनुचित लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से ये कार्यवाही की गई है ।

पैरा 12(ड) प्राधिकरण द्वारा मेजर आर.एस. चौहान से फ्लेट आंबटन पर ब्याज व देय रेत प्रभार की वसूली न करने बारे में :-

आंबटी खाता वही तथा आंबटी मेजर आर.एस. चौहान रजिस्ट्रेशन संख्या 9699 7/पी.एस.एफ.एम. प्लाह सी टाईप की फाईल की जांच करने पर पाया गया कि आंबटी को आबंटन पत्र संख्या: 9060-62 दिनांक 22.11.96 के द्वारा 45 दिन के भीतर मकान का कब्जा लेने हेतु कहा गया था, जिसकी समय सीमा 5.1.97 को समाप्त हो गई थी । परन्तु आंबटी द्वारा इस अवधि के दौरान मकान में कोई भी कमी नहीं बताई गई, और समय सीमा समाप्त होने के पश्चात दिनांक 13.1.97 को आंबटी का एक पत्र प्राधिकरण को प्राप्त हुआ, जिसमें मकान में कुछ कमियां बताई गई थी, जिसके सन्दर्भ में प्राधिकरण के द्वारा आंबटी को कमियां दूर करने के बाद पत्र संख्या: 14812.14 दिनांक 27.11.97 के द्वारा मकान का कब्जा 9.12.97 तक लेने हेतु कहा गया था, तथा साथ ही 2,47,326.00रुपये कब्जा लेने से पहले जमा करने हेतु कहा गया था, अन्यथा उनका आंबटन रदद कर देने सम्बन्धी सूचना भी थी । आंबटी के द्वारा इसके पश्चात निम्न विवरणानुसार मकान का कब्जा लेने हेतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए प्राधिकरण के द्वारा आंबटी के कब्जा लेने के समय सीमा की स्वीकृति प्रदान की गई ।

क्र.सं.	आंबटी के द्वारा मकान का कब्जा लेने की समय सीमा में बढ़ोतरी के लिए लिखे गए पत्र की दिनांक	प्राधिकरण के द्वारा आंबटी के कब्जा लेने की समय सीमा को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई पत्र सं. दिनांक	आवंटी के कब्जा लेने की समय सीमा में की गई बढ़ोतरी दि. से दि.	कुल दिन
1.	10.12.97	15382-83/11.12.97	9.12.97से9.1.98	31
2.	11.12.97	93-94 / 8.1.98	9.1.98से9.2.98	31

3.	28.1.98	820-21/28.1.98	9.2.98से 31.3.98 तक	50
4.	26.3.98	2128-29/28.3.98	31.3.98से31.5.98 तक	61
5.	3.6.98	3712-14/17.6.98	31.5.98से31.7.98 तक	61
6.	15.9.98	5877-79/19.9.98	31.7.98से31.10.98तक	92
			कुल दिन	326

उपरोक्त विवरणानुसार आंबटी के द्वारा मकान का कब्जा लेने की समय सीमा की बढ़ोतरी के लिए लिये गए पत्रों का अध्ययन करने पर पाया गया कि कोई भी ऐसा विशेष कारण नहीं है जिसकी वजह से प्राधिकरण ने आंबटी को 9.12.97 से लेकर 31.10.98 तक कुल 326 दिनों की बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई, तथा न ही आंबटी से इस अवधि का देखभाल के खर्चे और कब्जा लेने से पूर्व की राशि पर कोई ब्याज ही लिया गया । जबकि ब्रोशर में यह प्रावधान है कि यदि कोई आंबटी आंबटन की तिथि के बाद 6 महीने तक मकान का कब्जा नहीं लेता है तो उसका आंबटन प्राधिकरण के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा , परन्तु इस आंबटी को प्राधिकरण के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा , परन्तु इस आंबटी को प्राधिकरण के द्वारा ~~स्वयं कर दिया~~ 326 दिनों की समय बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई । ब्रोशर में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई आंबटी मकान का कब्जा आंबटन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर नहीं लेता है तो उससे पहले तीन महीनों के लिए 300.00रुपये प्रति माह के हिसाब से देखभाल के खर्चे और बाकि महीनों के लिए 500.00रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वसूल किए जाएंगे । अतः आंबटी से देखभाल के खर्चे भी प्राधिकरण के द्वारा नहीं मांगे गए और साथ ही कब्जा लेने से पूर्व की राशि पर कोई ब्याज ही वसूल किया गया हो । इससे यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के द्वारा आंबटी को अपने नियमों से हटकर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्यवाही की गई हो । अतः इसी अभिलेख में दर्शाया जाए कि किन नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण के द्वारा आंबटी को यह अनुचित लाभ पहुंचाया गया है ।

12. (च) सरकारी विभागों द्वारा निर्मित भवनों का देरी से भुगतान करने पर देय ब्याज की राशि मु0 10,44,431/-रुपये की वसूली को ~~अ~~ <u>प्राधिकरण द्वारा माफ करने बारे :-</u>

प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभाग,सी.आई.डी. और प्रोसीक्यूशन के लिए कार्यालय भवन का आबंटन किया और कार्यालय भवन की लागत को देरी से जमा करवाने पर निम्नलिखित विवरणानुसार देय ब्याज की राशि प्राधिकरण खाते में जमा करवाई।

क्र.सं.	विभाग का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.	देय ब्याज की राशि	जमा करवाया गया ब्याज	ब्याज की बकाया राशि(रु.)
1.	सी.आई.डी.	9085	932000/-रु.	932000/-रु.	शून्य
2.	अभियोजन	9083	116973/= "	112431/="	4542/=

उपरोक्त ब्याज की राशि की योजना सलाहकार की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.1998 को हुई बैठक में माफ कर दिया गया और प्राधिकरण को विभिन्न सरकारी विभाग के लिए निर्मित कार्यालय भवनों पर देय कुल लागत 742.89लाख बनती थी जिसमें से प्राधिकरण को 612.82 लाख रुपये* बकाया था में उपरोक्त ब्याज की राशि को समायोजित कर लिया गया और प्राधिकरण को विभिन्न सरकारी विभागों से वसूली योग्य कुल लागत 119.58लाख निर्धारित की गई।

उपरोक्त ब्याज की राशि को माफ करने बारे योजना सलाहकार के पत्र संख्या: योजना(पी.आई.) 1-33/96- accidum दिनांक 26.12.98 पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श किया गया और सी.आई.डी. व अभियोजन विभाग से वसूले गये ब्याज की राशि कुल 10,44,431/=रुपये का credit कि090 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग को रजि0 संख्या 5035 में डाल दिया गया और सी.आई.डी. व अभियोजन विभाग को डेबिट कर दिया गया। यह निर्णय मुख्य प्रशासक के पत्र संख्याएच.पी.एम.डी.पी-एडमिन(डी)-/99-4467-68 दिनांक 7.6.99 सूचित किया किया गया था। प्राधिकरण द्वारा लिया गया उक्त निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि मुख्यप्रशासक द्वारा जिन शक्तियों के तहत उपरोक्त ब्याज की राशि को माफ किया गया है उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण पर नहीं दिखाया गया।

प्राधिकरण द्वारा आवासों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण

हुडको तथा एल.आई.सी. ग्रह वित्त निगम से ऋण लेकर किया जाता है जिस पर लगभग 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अदायगी की जाती है । इस ब्याज के खर्चे की भरपाई देरी से किश्ते जमा करवाने वाले आवंटियों से 18% ब्याज वसूल करके की जाती है ताकि प्राधिकरण को कोई हानि नहीं उठानी पड़े । उपरोक्त प्रकरण में राशि रु0 10,44,431/=रुपये के ब्याज को माफ करने पर हानि सीधे तौर पर प्राधिकरण को हुई है । वास्तव में प्राधिकरण द्वारा मुआफ किए गए ब्याज का तुलन पत्र व सम्बन्धित अनुसूचियों में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार की आधारहीन मुआफियों के कारण इन राशियों का बोझ अनावश्यक रूपेण अन्य आवंटियों पर अप्रत्यक्ष रूप से डाला जा रहा है । प्राधिकरण को परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकार की समस्त मुआफियों को एक शीर्ष के अन्तर्गत संकलित करके वस्तुस्थिति को तुलन पत्र व अनुसूचियों में परिलक्षित किया जाए ताकि समस्त गतिविधियों का उचित मूल्यांकन हो सके ।

पैरा 13. <u>कर्मचारी भविष्य निधि एवं पैन्शन निधि की गलत कटौती बारे :-</u>

(क) भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या S-65015/1/93-SS-II ,दिनांक 16 नवम्बर 1995 संशोधित दिनांक 29.2.96 एवं 16.3.96 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी व अन्य कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती करके कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की जानी थी एवं नियुक्ति करने वाले (इम्पलायर) द्वारा 8.33प्रतिशत पेन्शन फण्ड में एवं 1.67प्रतिशत प्राविडैंट फंड में अंशदान दिया जाना था । एवं भारत सरकार के गजट दिनांक 22.9.97 के अनुसार कुल मजदूरी व वेतन से 12% की कटौती करके प्राविडैंट फंड में जमा होनी थी तथा नियुक्ति करने वाले द्वारा 8.33प्रतिशत पेन्शन फण्ड में तथा 3.67 प्रतिशत प्राविडैंट फण्ड में अंशदान दिया जाना था । किन्तु नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 प्रतिशत की दर से वसूली जोकि 22.9.97 से की जानी थी, नहीं की गई है इसके इलावा जहाँ 10% की दर से वसूली की भी गई है वहाँ पर भी उचित प्रतिशतता के अनुसार आधार पर उसे विभिन्न फंडो में जमा नहीं करवाया गया प्रतीत होता है । जिसके सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण अंकेक्षण में नहीं दिया गया । लगा... पृ. . .50.

अतः भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेन्शन निधि के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए एवं की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

अगर कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि के प्रावधानों का प्राधिकरण द्वारा पालन न करने से किसी प्रकार का जुर्माना या हानि उठानी पड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित प्राधिकारी एवं उचित अधिकारी की तय की जाए क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार निम्न कार्यवाही की जानी चाहिए थी :-

§1§ कर्मचारी भविष्य निधि कानून के पेरा 38 के अनुसार उक्त निधि में से कर्मचारी का अंशदान एवं इम्पलायर का अंशदान, अन्य प्रभारों सहित वेतन माह के समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अन्दर जमा होना चाहिए लेकिन वर्ष 1997-98 में निर्धारित अवधि के अन्दर-2 अंशदान जमा नहीं करवाया गया है ।

§2§ कर्मचारी भविष्य निधि कानून पेरा 30 के अनुसार ,यदि कार्य संविदाकारों के द्वारा किया जा रहा है तो उस संविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित अंशदान मुख्य इम्पलायर को देना होगा एवं मुख्य इम्पलायर §यहाँ पर हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण§ का यह दायित्व के अंशदान के साथ ही निधि में जमा करवाए । लेकिन प्राधिकरण में इस प्रावधान का बिलकुल भी पालन नहीं किया गया है ।

§3§ कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 1996-97 तक अंशदान §प्राधिकरणके अनुसार§ रु. 28,24,342.00बनता है जिसमें से रु. 6,70,062.00का अंशदान दिनांक 27.7.95 से 22.11.95 तक जमा करवा दिया गया लेकिन शेष अंशदान रु. 21,54,280.00को दिनांक 21.12.99 को जमा करवाया गया बताया गया है ।

§4§ कर्मचारी भविष्य निधि के पेरा 32-ए के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में यदि समय पर अंशदान जमा नहीं करवाया जाता है तो निम्नलिखित जुर्माना लगाया जा सकता है ।

डिफाल्ट की अवधि	हानि की दर (वेज पर प्रतिशत प्रति वर्ष)
दो महीने से कम कोन्म	17 प्रतिशत
दो महीने से चार महीने तक	22 प्रतिशत
चार महीने से छः महीने तक	27 प्रतिशत
छः महीने एवं अधिक	37 प्रतिशत

एवं पैरा 32-बी शर्ता (सी) के अनुसार " in other cases depending on merit the deduction of damages upto 50% may be Allowed " " अतः उपरोक्त अनुसार होने वाली हानि के लिए भी जिम्मेवारी निश्चित की जाए ।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त पैरा34 के अनुसार नए कर्मचारियों के बारे में फार्म 2 में डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है तथा पैरा 35 के अनुसार फार्म 3-ए में कन्ट्रीब्यूशन कार्ड रखने पड़ते हैं जो कि प्राधिकरण द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं ।

(6) पैरा 36(इम्प्लायर के कर्तव्य) के अनुसार :-

1. प्रत्येक माह की समाप्ति पर के 15 दिनों के अन्दर अन्दर फार्म 5 एवं 2 में रिटर्न भेजा जानी अपेक्षित है ।

2) प्रत्येक इम्प्लायर को इन्सपेक्शन नोटबुक बनानी पड़ती है ।

3) प्रत्येक राशि जो कि इस फण्ड में जमा की गई है उनके उचित एकाउंट्स रखने का कर्तव्य भी इम्प्लायर का है ।

प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षण को उपरोक्तानुसार कुछ भी नहीं उपलब्ध करवाया गया ।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाए । ताकि भविष्य में प्राधिकरण को कोई हानि न उठानी पड़े ।

(अ) वाउचर संख्या 164 दिनांक 23.9.97 रुपये 8495/= एवं वाउचर संख्या 132 दिनांक 26.3.98 रु. 7895/= के द्वारा क्रमशः मास अगस्त एवं फरवरी का अंशदान जमा करवाया गया है । कर्मचारी भविष्य निधि के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार अंशदान को मास समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर अन्दर जमा करवाना पड़ता है । उपरोक्त प्रकरणों में इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाए । एवं प्राधिकरण को इसके कारण होने वाली हानि के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जाए । इसके इलावा अंकेक्षण में यह अभिलेख एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है कि उक्त राशि किन कर्मचारियों से सम्बन्धित है । उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ ।

पैरा 14. <u>प्राधिकरण द्वारा संविदाकारों से कुल 12,84,285.00रुपये के बिक्री कर की कम कटौती बारे :-</u>

प्राधिकरण के विभिन्न मण्डलों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों पर संविदाकारों को भुगतान करने से पहले कुल निर्माण कार्यों की राशि पर नियमानुसार 2% बिक्री कर के रुप में हिमाचल प्रदेश सरकार के बिक्रीकर विभाग में जमा करवाना आवश्यक है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा संविदाकारों को भुगतान करने से पहले बिक्रीकर की कटौती नियमानुसार नहीं की जा रही है । जिससे प्राधिकरण द्वारा बिक्रीकर के रुप में 31 मार्च 1998 तक कुल 10,89,210.00रुपये की कम कटौती की गई तथा अंकेक्षण अवधि दिनांक 30.10.1999 तक बिक्रीकर के रुप में अनुमानतः 12,84,285.00रुपये की कम कटौती की गइ, जिसका विवरण संलग्न है । अतः संविदाकारों से बिक्रीकर के रुप में कम काटी गई राशि लगभग 12,84,285.00रुपये की शीघ्र वसूली की जाए व सरकारी कोष में जमा करवाई जाए, साथ ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संविदाकारों को जारी किए हुये वर्क आर्डर पर कम काटे गये बिक्रीकर की वसूली भी सुनिश्चित की जाए ।

[illegible] of work	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up to 31.3.98	Less recovered.
	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	Sh. Ajay Aggarwal	28 of 96-97	1307274/-	7th final	26145/-	12,[illegible]	13,[illegible]
-do- [illegible] Stage Drain [illegible] RD [illegible]/835	Sh. Naresh Verma	17 of 96-97	75,126/-	2nd	1502/-	1038/-	464/-
[illegible]	Sh. R.D. Justa	16 of 97-98	37,10,983/- 57,61,537/-	6th 12th	74219/- 115230/-	34,734/- 59940/-	39486/- 55,290/-
-do- [illegible] Stage drain in [illegible] Sector IV [illegible]/50	Sh. Naresh Verma	18 of 96-97	87,220/-	2nd & final	1744/-	1216/-	528/-
[illegible] Sector IV	Sh. Devinder Justa	6 of 97-98	2,03,578/-	3rd final	4010/-	2824/-	1186/-
[illegible] Sector II [illegible] road [illegible]	Sh. Bipin Kumar	11 of 97-98	1,36,487/-	3rd final	2730/-	1932/-	798/-

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recovered @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7)	c/o R.C.C. below BC3 Ph-II New Shimla. SH: P/F Steel railing for road in front of block 6,158,57	Sh. Mohan Singh	14 of 96-97	121063=00	3rd.	2421=00	2202=00	219=00
8)	—do— SH: c/o 16 Nos. type 'B' flats & Development of site	Sh. Vikas Enterprises	4 of 1996-97	51,12,585=00 54,26,246=00	7th 9th & final	102252=00 108525=00	68867=00 73991=00	33385=00 34534=00
9)	—do— SH: c/o Steps adjoining to plot No. 505	Sh. Mahesh Verma	11 of 96-97	62305=00	3rd & final	1246=00	859=00	387=00
10)	—do— SH: c/o RCC R/wall below type 'D' flats in Ph-II	Sh. Devinder Gupta	8 of 1996-97	117054=00	3rd & final	2340=00	1338=00	1002=00
11)	SH: c/o Shops in Sec-IV near Block No: 43 type-C	Sh. Munish Malhotra	10 of 96-97	3,44,195=00	4th	6884=00	5392=00	1492=00
12)	SH: c/o RCC Retaining wall at RD 0/51+-	Sh. Devinder Gupta	16 of 96-97	5,00,527=00	4th & final	10,010=00	7066=00	2944=00
13)	—do— SH: c/o Various types of plots & flats Sec. 1A	Sh. M.L. Gupta	15 of 93-94	1127433?=00	17th & final	225487=00	210946=00	14541=00

(3)

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98.	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recovered @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible] C/c Road in F.C. [illegible] 5545	Sh. Davinder Justa	21 of 96-97	40402/=	3rd & final	8080/=	5454/=	2626/=
[illegible]	——do—— [illegible] 'V' State Road [illegible] drain to m. road [illegible] to c/520	Sh. Munish Malhotra	19 of 96-97	1,09,102/=	3rd & final	2192/=	1534/=	658/=
[illegible]	——do—— Providing stone masonry [illegible] on M Road to SEC-III	Sh. Subhash Chauhan	24 of 96-97	1,54,961/=	4th & final	3099/=	2344/=	755/=
[illegible]	[illegible] Stone Masonry in [illegible] road of [illegible] XVII [illegible] to f/70	Sh. Pratap Chauhan.	3 of 97-98	1,23,236/=	2nd & final	2465/=	1800/=	665/=
[illegible]	——do—— [illegible] in [illegible] road [illegible] XVIII [illegible] in SEC-IV	Sh. Pratap Chauhan.	25 of 96-97	42,871/=	Ist	857/=	612/=	245/=
[illegible]	——do—— [illegible] Pipe Culvert [illegible] main [illegible] V	Sh. Bipin Kumar	27 of 96-97	2,10,653/=	4th & final	4213/=	2700/=	1465/=
[illegible]	——do—— [illegible]	Sh. [illegible] Gupta	[illegible]	2,93,276/=	4th & final	5865/=	[illegible]	[illegible]

(4)

	[illegible] of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] Dist [illegible] C/o [illegible] [illegible] [illegible] 121.5 [illegible] III	Sh. Thal Singh	4 of 97-98	66935=00	2nd & final	1338=00	921=00	412=00
ii)	S/R C/o Stone masonry [illegible] Plot [illegible] for plot no. 472/1	Sh. Devinder Jisla	5 of 97-98	2,28,593=00	4th & final	4571=00	3636=00	935=00
iii)	S/R C/o Stone masonry wall for plot no. 472/3 472/4.	Sh. Bachan Chander	9 of 97-98	2,31,179=00	4th & final	4623=00	3672=00	951=00
iv)	S/R C/o Stone masonry wall for plot No 472/2	Sh. Govind Jisla	10 of 97-98	40,775=00	3rd & final	815=00		
	[illegible] sewerage [illegible] main [illegible] [illegible] — III	Sh. [illegible] Chadha	33 of 91-92	2,74,851=00	5th & final	5498=00	4944=00	554=00
	[illegible] [illegible] [illegible] III	Sh. [illegible] [illegible]	20 of 97-98	1,34,2[illegible]	2nd & final	2680=00	1556=00	1124=00
	[illegible]	Sh. [illegible] Singh	2 of 97-98	1,37,63[illegible]	3rd & final	2993=00	2888=00	105=00

Sl. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] final	9721/-	—	2537/-
[illegible]	[illegible]	[illegible] Jindal	7 of 92-93	1,63,207/-	2nd & final	[illegible]	1575/-	511/-
[illegible]	[illegible]	-do-	13 of 92-93	53,022/-	2nd & final	1060/-	8[illegible]	197/-
3)	[illegible] Main Road & Feeder Road in Sector II	Bipin Kumar Sinha	11 of 92-93	1,51,417/-	3rd & final	2729/-	1932/-	797/-
4)	-do- [illegible]	[illegible]	17 of 92-93	75,126/-	2nd & final	1503/-	1038/-	465/-
5)	-do- [illegible]	-do-	12 of 92-93	87,220/-	2nd & final	1740/-	1212/-	528/-
6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,22,560/-	3rd & final	2456/-	251[illegible]	1255/-

(6)

Sl. No.	Name of work	Name of Contractor	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98	Trade sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98	Recovered up to 31.3.98	Less recovered
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible] Chand & Co.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16476/-
[illegible]	[illegible]	[illegible] Singh	[illegible]	7447/-	[illegible] Final	1457/-	[illegible]	200/-
	SH: C/o [illegible] type 'B' [illegible] & 12 [illegible] type C [illegible]	Sh. Jia Lal Chauhan	22 of 97-98	8,39,358/- 15,85,105/-	Ist [illegible] R/A bill	11717/- 13[illegible]/-	7611/- [illegible]	9171/- 51093/-
	[illegible]	Mr. S.L. Gupta & Associates	17 of 97-98	5940242/- 4462576/-	Ist [illegible] R.A. bill	11880/- 89251/-	5876/- 61023/-	6002/- 28228/-
30)	SH: C/o [illegible] type B basement flats & 12 No. type D flats [illegible]	Sh. R.D. Justa	20 of 97-98	3,35,644/- 19,43,907/-	Ist [illegible] R/A bill	7713/- 1,38,878/-	3434/- 85,729/-	4279/- 53149/-
								1,57,350/-

Note: Sales tax less recovered from above mentioned contractors comes to Rs. upto 31/3/98 & Rs. [illegible] up to the date of audit i.e. 10/99 — 2,87,322.00

Sales Tax less Recovered upto 31/3/98 = 1,57,350.00
" " " " from 1/4/98 to 10/99 = 1,29,972.00
" " " " upto 10/99 = 2,87,322.00

[illegible] of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recovered @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up to 31.3.98	Less recovered.
	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	M.B. Construction	[illegible]	[illegible]	4th	[illegible]	33172-00	8829-00
[illegible]	[illegible] Thakur	7 of 97-98	[illegible]	4th & final	5330-00	3580-00	1750=00
[illegible]	Sh. Thal Singh	11 of 97-98	258056=00	5th & final	5162-00	3762-00	1400=00
[illegible]	Sh. Ramesh [illegible]	[illegible]	[illegible]	Ist R/Bill	490-00	188-00	302-00
[illegible]	[illegible]	13 of [illegible]	[illegible]	2nd R/Bill	70237-00	62652-00	7585-00
[illegible]	[illegible] Gupta	18 of [illegible]	1,05,557-00	3rd & final	2117-00	1305-00	812-00

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Val[illegible] con[illegible] 31.
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9)	SH: C/o R/wall in Block No. 45 PH-II	— do —	[illegible] 97-98	1,75,
10)	SH: C/o Prepared Shop & parking in Zone No-I Sec-II PH-I	Sh. M.K. Miglani	28 of 96-97	1,94,
11)	SH: Providing S.I. wire fencing behind Plot -24	Sh. Rajeev Malhotra	31 of 97-98	6,11, 65
12)	SH: C/o Steps from Main Road AD [illegible] to Link Road RD/[illegible] in PH-II	M/s [illegible] Engr. & Consultants	10 of 95-96	1,52[illegible]
13)	SH: P/F railing around Link No. 1/6, 4/3, AD/[illegible] No/22	— do —	19 of 97-98	553
14)	SH: C/o [illegible] Block No-I Sec I	Sh. [illegible]	16 of 97-98	55[illegible]
15)	SH: Diversion & [illegible] [illegible]	— do —	23 of 97-98	[illegible]

[illegible]vered up [illegible]-98	Less recovered.
9	
[illegible]5-00	[illegible]
58-00	1,555-00

to 31/3/98 = 3,35,614-10

1/4/98 to 10/99 = 25361.00

[illegible] 10/99 = 3,60,975

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up to 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] buildings	Sh. [illegible] Chand	[illegible] of 97-98	1,27,778/-	[illegible] final	2555/-	[illegible]	1200/-
18)	[illegible] Plot No. [illegible] 407	Sh. Subhash Chauhan	27 of 96-97	2,37,090/-	3rd final	4742/-	2624/-	2118/-
19)	[illegible] 212	— do —	28 of 97-98	2,23,282/-	4th final	4465/-	3317/-	1148/-
20)	[illegible]	Sh. Rakesh Kumar	42 of 95-96	3,73,002/-	3rd final	7460/-	6374/-	1086/-
21)	[illegible] Development of [illegible] Street [illegible]	Sh. Devinder Justa	10 of 97-98	91,276/-	2nd & final	1805/-	1540/-	265/-
22)	C/o Shifting [illegible]	Sh. [illegible]	12 of 96-97	56,75,221/- 69,92,593/-	12th [illegible]	1,03,264/- 1,39,812/-	38011/- 66[illegible]/-	62243/- 73244/-
23)	C/o Shifting [illegible] Kullu ([illegible])	— do —	12 of 97-98	5,51,131/- 13,51,624/-	5th [illegible]	11,037/- 27,013/-	55[illegible] 22[illegible]	6370/- 4800/-

Name of works	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recovered @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	M/s [illegible] & Consultants	32 of 95-56	61,46,725	17 R	1,22,818	90,731	32,087
[illegible]	Sri M.K. [illegible]	37 of 95-56	1,11,73,152	21st R	2,23,419	1,72,145	51,274
27) [illegible]	— do —	30 of 91-92	7,73,202 9,64,657	5 R 6 R	15464 18817	12913 17101	2551 1716
[illegible] C/o Type 'B' Flat [illegible] 24 Nos.	Sri M.L. Gupta & Associates	9 of 91-92	84,75,225 86,91,113	10 R 12 R	169504 173822	119451 123915	50053 49907
[illegible]	Sri Girish Gupta	21 of 91-92	14,12,550 15,05,022	7 R 8 R	28252 30102	13581 14715	14671 15387
[illegible]	Sri Ramesh [illegible]	14 of [illegible]	61,145	I st	1223	771	452
[illegible]	M/s [illegible] & Consultants	5 of [illegible]	1,64,8[illegible]	I st & final	3298	2003	1295

Sl. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32nd	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-do-	221 [illegible]	4,77,153=00	1st	9,944=00	8,358=00	1,586=00

Sale Tax not Recovered up to 31/3/98 = 335,614-10

Sale Tax not Recovered from 1/4/98 to 10/97 = 25361.00

Sale Tax not Recovered upto 10/99 = 3,60,975

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up to 31.3.98	Less recovered.
	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 / 96-97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	— do —	9 / 95-96	2064560/-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,53,57[illegible]
	[illegible]	— do —	8 / 95-96	7569127/-	11th	1,51,190/-	[illegible]	75,317/-
				12879617/-	16th & final bill	2,57,593/-	[illegible]	92,771/-
	[illegible]	Sh. Mohinder Singh	23 / 95-96	6434153/-	13th	1,28,683/-	[illegible]831/-	32,852/-
	[illegible]	Sh. Ajay Aggarwal	1 / 97-98	864846/-	5th	17,296/-	[illegible]	7934/-
	[illegible]	[illegible]	7 / [illegible]	6,50,213/-	3rd & final	13,005/-	[illegible]	1812/-
	[illegible]	[illegible]	1 / [illegible]	5792139/-	12th & final	115858/-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]40/-	[illegible]	[illegible]

Sr. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up to 31.3.98	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible] Gupta	27 of 95-96	2[illegible]	[illegible] final	[illegible]	[illegible]	12,[illegible]
10)	— do — [illegible] block No. 24	R. [illegible] Gupta	2 of 97-98	2,47,[illegible]	2nd & final	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11)	— do — [illegible] block No. 18	— do —	21 of 96-97	1,31,223-00	[illegible] final	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12)	— do — [illegible] block No. 23	— do —	14 of 96-97	5,28,[illegible]	2nd & final	10,577-00	7090-00	3,487-00
13)	[illegible] Providing Kota Stone in stair case in Block No. 27	— do —	13 of 96-97	3,15,957-00	4th & final	6,319-00	5973-00	346-00
14)	[illegible]	— do —	16 of 96-97	1,82,[illegible]	[illegible] final	3,658-00	2648-00	1010-00
15)	[illegible] Block No. 35	— do —	22 of 96-97	4,39,221-00	4th & final	8,784-00	6735-00	2049-00
16)	[illegible]	— do —	20 of 96-97	54,[illegible]	1st & final	1082-00	930-00	152-00
17)	[illegible]	Sh. [illegible]	2 of 96-97	[illegible]	2nd & final	1375-00	[illegible]	[illegible]

Sl. No.	Name of work.	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.03	Last bill till 31.3.98.	Total labour tax recoverable for work paid up to 31.3.03.	Recovery up to 31.3.03	Less recovered.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M/s [illegible] Malhotra	9 of 96-97	[illegible]575/-	2nd & Final	[illegible]	[illegible]	[illegible]32/-
2[illegible])	S/R of Block No. 24	Sh. Balwinder Kumar	6 of 96-97	73,[illegible]/- 75,68,492/-	9th Final	[illegible] [illegible]70/-	[illegible] [illegible]	47150/- 47,370/-
2[illegible])	S/R Shifting [illegible] near block [illegible] at Vikas Nagar	Sh. Ramesh Kumar	1 of 97-98	[illegible]	1st.	[illegible]	521/-	110/-
22)	S/R P/L of Kota Stone flooring in staircases of block No. 24 [illegible]	Sh. Vikas Aggarwal	11 of 97-98	1,[illegible],492/-	3rd & Final	3730/-	3517/-	213/-
23)	P/F M.S. railing along approach road side [illegible] in front of Block No. 7	Sh. Mohan Singh	13 of 97-98	59,73[illegible]/-	2nd & final.	1195/-	1160/-	35/-
24)	S/R [illegible] closing of approach road to block No. 27, 28, 22 at R.D. [illegible]	Sh. Rajeev Malhotra	12 of 97-98	43,[illegible]/-	2nd & final	870/-	711/-	159/-
25)	S/R to Septic Tank at [illegible]	-do-	[illegible] of 97-98	5[illegible]25/-	2nd	1135/-	7[illegible]/-	347/-

1, 13, 47, 314. 00

Name of work	Name of Contractor.	Agreement No.	Value of work done up to 31.3.98	Last bill till 31.3.98.	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98.	Recovered up 31.3.98	Less recovered.
2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible] 97-98	[illegible]	[illegible] final	12985/-	[illegible]	2116/-
[illegible]	Q. Bahadur Gupta	18 of 97-98	203909/-	2nd & final	4078/-	3597/-	11/-
[illegible]	-do-	16 of 97-98	129330/-	-do-	2587/-	2444/-	143/-
[illegible] to block No. [illegible] to building [illegible] [illegible]	Mohan Singh	17 of 97-98	54023/-	Ist	1080/-	862/-	218/-
							497330/-
							515813/-

Note :- Sales tax less recovered by the Construction cum design division from various above mentioned Contractors for the Gross Value of work done up to 31st March, 1998 comes to Rs 4,97,330/- only and up to the date of audit i.e. october 99 comes to Rs 5,15,[illegible]

Sales Tax not Recovered from 1/4/98 to 10/99 = 185[illegible] Rs.

1, 13, 47, 3 14. 08

Name of work	Contractor	Agreement	Value of work done up to 31.3.98	Last bill (III) 31.3.98	Total sales tax recoverable @ 2% for work paid up to 31.3.98	Recovered up to 31.3.98	Less recovered
		3	4	5	6	7	8 / 9
[illegible]	Sh. [illegible] Singh	5 of 97-98	1117515[illegible] / 7553783[illegible]	5th / 7th upto date	83 63[illegible] / 150757	54,905 / 111,119	27262 / 20555 / 29058 / 39058
— do — [illegible] A, B, C, Units [illegible] Units	Sh. Subhash Chand	5 of 96-97	4926667 / 6585092	6th / 8th upto date	95533 / 131762	65,113 / 95541	32,850 / 36161
— do — [illegible] "Type C"	Sh. Ashok Kumar	19 of 96-97	20,36,119 / 23,94,493	6th / 7th	40,723 / 47,890	32,488 / 38,575	8235 / 9315
— do — Providing sewerage System	Sh. Pramod Gupta	9 of 97-98	6,34,402 / 14,18,498	Ist (S.A.) / 3rd upto date	Nil / 28,370	Nil / 25549	Nil / 2721
— do — [illegible] Road & [illegible] [illegible] R.C.C.	Sh. Kuldeep Singh	14 of 97-98	5,31,850 / 9,37,911	Ist / 2nd upto date	10,637 / 18758	9126 / 16440	1511 / 2318
							98916 / 120138

Note: Sales tax [illegible] recovered from above mentioned Contractor's amounting to Rs 98916 up to 31st March 1998 and amounting to Rs. 120138 only upto October 1999.

Sales Tax not recovered from 1/4/98 to 10/99 = 21222 Rs.

1,13,47,314.00

	[illegible] upto [illegible]/96	[illegible] upto [illegible]
Division No. – I →	1,54,550.00	2,07,32[illegible].00
Division No. – II →	4,94,330.00	5,15,850.00
Design Division →	3,35,614.00	3,60,975.00
Sub Division Dharamshala →	98,116.00	1,20,136.00
	10,89,210.00	12,84,285.00

पैरा 15(क) प्राईस्ड-स्टोरेज लेजर का रख-रखाव न करना :

लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा 7.2.32,7.2.33, 7.2.34 के अनुसार डिविजन कार्यालय की लेखा(एकाउंट्स) शाखा में स्टॉक की दैनिक प्रविष्टियों के लिए" प्राईस्ड स्टोरेज लेजर" का रख रखाव किया जाना चाहिए था तथा पैरा 7.2.3 के अनुसार पोस्टिंग की शुद्धता की जांच के लिए तथा इन्वेन्टों की वेलुएशन के लिए प्राईस्ड वोकेबलरी ऑफ स्टोरेज रखी जानी चाहिए एवं पैरा 7.2.16 के अनुसार बिन कार्ड से प्राईस्ड स्टोरेज लेजर में प्रविष्टियों का मिलान किया जाना चाहिए लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राइस्ड-स्टोरेज लेजर का निर्माण नहीं किया जा रहा है तथा न ही अन्य अपेक्षित मिलान कार्य किसी स्तर पर किया जा रहा है । जिसके कारण स्पष्ट किए जाएँ भविष्य में प्राइस्ड -स्टोरेज लेजरों व अन्य लेखाओं का रखरखाव विधिवत करना सुनिश्चित किया जाए ।

15(ख) विभिन्न फर्मों के वास्तविक बिलों के बिना ही अग्रिम के समायोजन करने में अनियमितता ।

निम्नलिखित समायोजन वाउचरों की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि 1,13,47,514.00 रुपये का स्टाक क्रय खाते को डेबिट करके विभिन्न फर्मों के खातों को क्रेडिट किया गया परन्तु फर्मों के वास्तविक बिल जिसके आधार पर भण्डार सामग्री की वास्तविक कीमत की गणना की गई, जो अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके न होने पर समायोजित की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी जिसे आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाए ।

समायोजन वा.सं.	दिनांक	राशि(रु.)
11/97-98	97-98	7,65,136.00
10/97-98	97-98	1,05,82,378.00
		1,13,47,514.00

पेरा 15(ग) इन्डेन्ट संख्या एच.पी.एन.वी.पी.-जे.एस./97 दिनांक 31.10.97:-

उपरोक्त इन्डेन्ट द्वारा पांच नम्बर आर.सी.सी. 900 एम.एम. एन.पी.टू.पाईप मण्डल -II के कार्य रिहायशी बस्ती नजदीक वी.सी.एस.फेस-I (ए.आर. और एम.ओ.मुख्य सड़क) के कार्य के एम.ए.एस. को जारी किये गए। उक्त भण्डार प्राधिकरण के बिल नाई एस.डी.ए. -डी-2-30(ए) द्वारा दिनांक 3.10.97 को जारी किया गया बताया गया तथा इस मद की अन्तिम खरीद प्राधिकरण द्वारा 20.7.93 को कीगई दर्शाई गई है। माह 9/90 में इस मद का अन्तिम भण्डार "3" दिखाया गया है एवं अंकेक्षण अवधि तक कोई उपयोग नहीं दर्शाया गया है अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा भण्डारों का क्रय आवश्यकता के अनुसार एवं लागत को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है जिससे प्राधिकरण की बहुमूल्य राशि का पुनःविनियोजन होता है एवं ब्याज की आय से वंचित रहना पड़ता है अतः उक्त खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में लागत एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही क्रय किया जाए।

15(घ) दर संविदा का न दिखाया जाना :

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सप्लायरों से सीमेन्ट स्टील एवं सी.जी.आई.शीटों को खरीदा जाता है जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी ऐजेन्सियां शामिल हैं लेकिन इनमें से किसी की भी दर संविदा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवायी गयी जिस कारण दर संविदा की शर्तों व मूल्य आदि पर क्रय की सत्यापना नहीं की जा सकी। सम्बन्धित दस्तावेज आगामी लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित करें व समस्त क्रय की तदानुसार सत्यापना कराना सुनिश्चित करें

15.(ड.) वाउचर सं. 14/97-98 राशि रु.2,25,62,253.00रुपये

उपरोक्त वाउचर के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई :-

(1) डिजाईन मण्डल एवं मण्डल-I से सम्बन्धित इन्डेन्टों से जारी

मात्रा को अलग-अलग कार्यों में डेबिट करने की अपेक्षा निम्नलिखित अनुसार डेबिट किया गया ।

मण्डल-I

1. रिहायशी बस्ती न्यू शिमला फेस -I
2. -"- -"- -"- " -II
3. -"- -"- -"- -"-III

डिजाईन मण्डल :-

1. कमर्शियल कम्पलेक्स के.जे.सी.कसुम्पटी
2. सोशल हाउसिंग विकास नगर
3. रिहायशी बस्ती रामपुर

उदाहरणतया इन्डैन्ट सं. एम.एल./97-43 दिनांक 20.3.98 {मण्डल-I} जो कि मैटलिंग एण्ड टायरिंग {प्रासेटेज विकास नगर} फेस -II को डेबिट किया जाना चाहिए था को रिहायशी बस्ती फेस -II को डेबिट कर दिया गया {राशि रु. 10292.00} इसी प्रकार इन्डैन्ट संख्या एस.के.-डब्लयू.टी.-I{मण्डल-I} दिनांक 3.6.97 को 1,25,000 लिटर ....

[illegible] जाती थी ऐसी दशा में [illegible] के कार्य को [illegible] था [illegible] लिये [illegible] कर दिया गया।

इस प्रकार आवंटन निर्माण सामग्री के किसी विशिष्ट कार्य के प्रति डेबिट करने के [illegible] उपलब्ध प्रकार से [illegible] अनुचित था [illegible] निर्माण सामग्री का उसके [illegible] के अनुरूप [illegible] प्रतिबिम्बित किया जाए।

(ii) [illegible] के दौरान [illegible] पाया गया कि [illegible] की त्रुटि के कारण गलत [illegible] के डेबिट ~~[illegible]~~ एवं [illegible] [illegible] को ~~[illegible]~~ गलत डेबिट की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

[illegible]	कार्य का नाम	[illegible]	[illegible]	स्टाक संबंधित		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] (II) ([illegible])	21152	21034	20503	20742	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	22113	21516	21012	217222	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5475	[illegible]	5010	[illegible]	[illegible]
			5015	7220	[illegible]	[illegible]	158

[illegible]

75

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	212157-	194434-	[illegible]	192622-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	—	6763-	—	6650	—	133-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	—	24652-	—	235.0-	—	[illegible]
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	565216-	[illegible]	554155	[illegible]	[illegible]

(iii) [illegible] में यह भी पाया गया कि [illegible] के [illegible] कार्यों में [illegible] पर [illegible] विवरण [illegible] किया गया है।

[illegible]	[illegible]	राशि जो [illegible] की गई	[illegible]	[illegible]
[illegible]	I	1,56,181.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	I	116,10[illegible]	[illegible]	[illegible]

76

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	24652-	[illegible]	[illegible]
I	48763-	[illegible] -II शिमला	[illegible]
I	43609-	[illegible] शिमला	[illegible]
I	24652-	— निरस्त —	निरस्त
I	13322	— निरस्त —	निरस्त
I	19,212-	निरस्त —	[illegible]
I	45772-	[illegible]	[illegible]
I	1256	[illegible]	[illegible]
[illegible]	7262	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1264	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	— निरस्त —	

17

[illegible] (ग) में वर्णित [illegible] के कारण [illegible] से दर्शाए गए आंकड़ों [illegible] आगामी लेखा परीक्षा [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10190	18574
[illegible]		
[illegible]	334332	[illegible]
[illegible]	1491994	[illegible]
[illegible]	215553	[illegible]
[illegible]	651839	[illegible]
[illegible]	118102	1,20,58,7[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	8,22,303	[illegible]
[illegible]	2,33,51	[illegible]
[illegible]	2,22,[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

15(घ) **डाक टिकटों में रु. 173.00रु. की कमी :-**

मुख्य कार्यालय के वर्ष 1997-98 के स्टैम्प रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में डाक व्यय के जोड़ इत्यादि के कारण व अन्यथा शेष टिकटों को कहीं अधिक व कहीं कम किया गया जिस कारण रु. 173.00रुपये की डाक टिकटों का शेष कम दर्शाया गया है जिसकी दोषी कर्मचारी से वसूली करके नगर विकास प्राधिकरण की निधि में जमा करवाया जाए ।

दिनांक	शेष दर्शाया गया	शेष होना चाहिए	कमी/अधिक्य
6.9.97	247.00	238.00	+9
8.9.97	189.00	179.00	+10
3.7.97	4737.00	4835.00	-100
31.2.97	1517.00	1519.00	-2
20.3.98	6449.00	6549.00	-100
26.3.98	6096.00	6086.00	+10
			-173.00

15.(ङ) **समायोजन वाउचर संख्या 12 वर्ष 97-98 राशि रु.24,32,255.00**

(1) **गलत कार्य को डैबिट करना :**

उपरोक्त समायोजन वाउचर की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन्डेन्ट संख्या कुल्लू -210 दिनांक 3/98 द्वारा 120 बोरी सीमेन्ट राशि रु. 16524.00रुपये शापिंग सैंटर कुल्लू (बिल्डिंग पोरशन डब्ल्यू.एस. एण्ड एस.आई. डिवेलपमेंट आफ साईट और सेपटिक टैंक) के निर्माण कार्य हेतु जारी की गई जबकि लेखों में उक्त निर्माण कार्य को डैबिट न करके शापिंग सैन्टर कुल्लू (अनुबन्ध 12 /96-97) को डैबिट किया गया है । इस प्रकार इस निर्माण (द्वितीय निर्माण) कार्य पर रु. 16524.00रुपये का अधिक व्यय एवं प्रथम कार्य (अनुबन्ध 12 वर्ष 97-98)पर कम व्यय दिखाया गया है । जिसका उचित समायोजन करने के उपरान्त अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से सूचित किया जाए । ......78.

(ii) शार्पिंग सेन्टर व्यासा मोड़ कुल्लू के निर्माण के कार्य को रूपये 17666.00 का कम डैबिट :-

इन्डैन्ट संख्या 193 दिनांक 11/97 (कुल्लू) द्वारा 170 बैग सीमेन्ट रु. 22950.00 एवं 8 एम.एम. टोर स्टील रु. 17320.00 को शार्पिंग सैन्टर व्यासा मोड़, कुल्लू (संविदा 12 वर्ष 1996-97) के कार्य को जारी किया गया। लेकिन कार्य को केवल सीमेन्ट की राशि रु. 22950.00 एवं स्टोरेज रु. 459.00 (कुल रु. 23409.00) से डैबिट किया गया है। अतः 8एमएम टोर स्टील रु. 17320.00 जमा 346.00 स्टोरेज (कुल रु. 17666.00) का कार्य को कम डैबिट किया गया है। फलस्वरूप स्टॉक ससपैंस को रु. 17320.00रु. व स्टॉक स्टोरेज को रु. 346.00 का कम क्रेडिट किया गया है। इसका उचित समायोजन करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पैरा 15. (ज) प्राधिकरण द्वारा भण्डारों की अनावश्यक खरीद बारे :-

निम्न बिन कार्डों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इन बिन कार्डों में दर्ज की गई निर्माण सामग्री का क्रय के उपरान्त न ही कहीं उपयोग हुआ तथा न ही इन वस्तुओं को नए बिन कार्डों में अग्रेणीत किया गया व तदानुसार न ही इन्हें समय समय पर कार्यभार सम्भालते समय अपने उत्तराधिकारियों को सौंपा गया जिससे इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की आशंका प्रतीत होती है। इनकी पूर्ण जांच विभागीय स्तर पर करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र.सं.	विवरण	बिनकार्ड सं./दिनांक	दिनांक 31.3.98 को शेष
1.	टावर बोल्ट 150एमएम x 10एमएम	HPNVP (D)-35 दिनांक 1.12.95	1240 नं.
2.	आयरन स्क्रू 20 एमएम	HPNVP (D)-36 दिनांक 1.12.95	8000नं.
3.	विद्युमन ड्रम शीटस	HPNVP (D)-37 दिनांक 1.12.95	50नं.
4.	पैड लॉक	HPNVP(D)-38 दिनांक 1.12.95	52 नं.
5.	केल वुड (एक्साइज) (सभी साइज)	HPNVP(D)-39 दिनांक 1.12.95	0.792 cum.
6.	केल वुड (नानस्टैन्डर्ड साइज)	HPNVP(D)-40 दि. 1.12.95	0.116 cum.
7.	हिमहिमा केल	HPNVP(D)-42 दि. 1.12.95	0.43 cum.
8.	आयरन हैन्डलस	HPNVP(D)-43 दि. 1.12.95	100नं.

[illegible] ठेकेदारों/एम०ए०एस० को भण्डार से [illegible] भण्डार सामग्री की वसूली [illegible] सम्बन्ध में।

[illegible] परीक्षण में पाया गया कि वर्ष [illegible] के दौरान विभिन्न ठेकेदारों/एम०ए०एस० [illegible] निम्नलिखित इण्डेन्टों द्वारा जारी की गई [illegible] सामग्री के वसूली सम्बन्धी अभिलेख [illegible] नहीं किए गए। जिससे प्रतीत होता [illegible] कि [illegible] वसूली वास्तव में नहीं की [illegible] अतः उक्त जारी किए गए भण्डार [illegible] की वसूली आगामी अंकेक्षण में [illegible]

[illegible] इण्डेन्ट नं० व तिथि	सामग्री का नाम	मात्रा	ठेकेदार/कनिष्ठ अभियन्ता का नाम
[illegible] पी०जी०/ठेकेदार-[illegible] -97-3 दिनांक 7/5/77	सीमेंट बैग	5	श्री मोहन सिंह ठेकेदार
[illegible] डी०जी०/एम० [illegible] -435/77 [illegible] 77	सी०जी० आइ० शीट 63 mm. (i) 8' लम्बी (ii) 10' लम्बी	0.120 M.T. 0.420 M.T.	श्री ओ०एस० ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता
[illegible] -1 [illegible] 10-6-77	सीमेंट बैग	180	श्री एन० के० [illegible] ठेकेदार
[illegible] -7/77-3 [illegible] 2/7/77	सीमेंट बैग	40	श्री संजय चौहान ठेकेदार
[illegible] -77-[illegible] [illegible] 77	सीमेंट बैग	5	श्री तेज पाल ठेकेदार
[illegible]	सीमेंट बैग	100	श्री [illegible] ठेकेदार
[illegible]	[illegible]	0.095 M.T.	[illegible]

81

[illegible]	सामग्री का नाम	मात्रा	ठेकेदार/कनिष्ठ अभियन्ता का नाम
[illegible]	सीमेंट बैग	50	श्री जे.एस. ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता
[illegible] 13/3/77	टोर स्टील 8mm टोर स्टील 10mm	0.600 MT 0.970 MT	एस. जी. [illegible] ठेकेदार
[illegible]	बिटुमन ड्रम	20 ड्रम	श्री जे. एस. ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता
[illegible] 77	सीमेंट बैग	180	श्री बलविन्दर गुप्ता ठेकेदार
[illegible] 15/[illegible]/77	टोर स्टील 8mm " 10mm " 12mm	0.600 MT 0.710 MT 0.350 MT	श्री बलविन्दर गुप्ता ठेकेदार
[illegible]	सीमेंट बैग	20	श्री [illegible] कुमार ठेकेदार
[illegible] -7-77	सीमेंट बैग	40	श्री [illegible] ठेकेदार
[illegible]	सीमेंट बैग	50	श्री एस.के. [illegible] ठेकेदार
[illegible]	टोर स्टील 12mm	0.297 MT	श्री एस.के. [illegible] ठेकेदार
[illegible]	सीमेंट	20 बैग	श्री [illegible] ठेकेदार

पेरा 15(घ) रु. 7980.00 के सीमेन्ट की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन्डेन्ट संख्या एमएल/97-32 दिनांक 15.12.97 के द्वारा 60 सीमेन्ट बैग दिनांक 18.12.97 को भण्डार से श्री अजीत चौहान ठेकेदार को वी पेप रोड साइड ड्रेन आर.डी. 0/950 से 1/033 (संविदा संख्या 24/97-98) के कार्य के लिए जारी किए गए थे लेकिन वाउचर संख्या "3" दिनांक 7.1.98 राशि 29656 रुपये द्वारा उक्त कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया जिसमें उपरोक्त इन्डेन्ट द्वारा जारी किए गए सीमेन्ट की रिक्वरी न किए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा उचित स्त्रोत से पेनल दर पर रिक्वरी करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15. (ङ) सिविल सप्लाई से खरीदे गए सीमेन्ट की कम प्राप्ति :

रिकार्ड के टेस्ट चैक के दौरान पाया गया कि सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को निम्नलिखित के लिए एडवांस में भुगतान कर दिया गया था लेकिन बिल कार्डों एवं माल प्राप्ति रसीदों की जांच पर पाया गया कि इनमें से 191 सीमेन्ट बैग 31.3.98 तक भी प्राधिकरण के पास नहीं पंहुचे थे ।

क्र.सं.	वा.सं.	दिनांक	राशि(रु.)	बैग जिनके लिए भुगतान किया गया।	बैग जिनसे प्राप्त हुए	अन्तर(अप्राप्ति)
1.	13	7.1.98	4,20,408/-	3600	3599	1
2.	18	2.8.97	7,67,080/-	5940	5935	5
3.	57	20.10.97	7,67,080/-	5940	5760	180
4.	45	21.11.97	4,68,641/-	3600	3596	4
5.	51	17.9.97	3,48,673/-	2700	2699	1
						191

उपरोक्त शेष बचे सीमेन्ट बैगों की वसूली सिविल सप्लाई से करने के उपरान्त की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

...80.

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना भण्डार सामग्री जारी करने में अनियमितता :

लेखा परीक्षण के दौरान भण्डार लेखाओं की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि वर्ष 1997-98 के दौरान निम्नलिखित इन्डेन्टों द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को भण्डार से निर्माण कार्य सामग्री सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना ही जारी की गई जो कि अनियमित है जबकि सी.पी.डब्लू. एकाउन्ट कोड के नियम 7.2.9 के अन्तर्गत स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही भण्डार से सामग्री जारी की जा सकती है। इस अनियमितता को लेखांकन करके अनुपालना दिखाई जाए :-

क्रमांक	इन्डेन्ट संख्या व तिथि	सामग्री का नाम व मात्रा	ठेकेदार का नाम
1)	एस.आर. सचिवालय कैम्प-01 दिनांक 7/6/97	रोडीलाइट (रोड लाइट) 1 नं.	T&P स्टोर [illegible]
2)	307/97 दिनांक 16/7/97	सीमेंट 100 बैग	श्री एस.के. [illegible]
3)	INS (M/s K.C.)-03/7-97 दिनांक 25/7/97	बिटुमन 38 ड्रम	मै. कपिल [illegible]
4)	ML/97-34 दिनांक 19/1/98	सीमेंट 100 बैग	श्री नरेश [illegible]
5)	[illegible]-71 दिनांक 1/98	सीमेंट 150 बैग	श्री [illegible]
6)	12/98 दिनांक 12/01/98	सीमेंट 150 बैग	श्री कपिल [illegible]

50

-83-84

	इन्डेन्ट संख्या व तिथि	सामग्री का नाम व मात्रा		ठेकेदार का नाम
1)	14/98 दिनांक 31/01/98	टोर स्टील 16mm	2.964 mt	मै॰ हिन्द इन्जीनियरस एवं कन्सल्टेन्ट
2)	15/98-MS-3 दिनांक 17/1/98	सीमेंट	150 बैग	श्री एस.एस. गान्धी
3)	सतीश -71/95-96 दिनांक 17/1/98	सीमेंट	180 बैग	श्री सतीश गोयल
4)	सतीश -70/95-96 दिनांक 17/1/98	टोर स्टील 20mm	2.977 mt.	श्री सतीश गोयल
5)	INS (SKG) -40/1/98 दिनांक 17/1/98	टोर स्टील 20mm " 25mm	2.675 mt 1.831 mt	श्री सतीश गोयल
6)	16/98-MS-4 दिनांक 24/1/98	टोर स्टील 8mm	0.150 mt	श्री एस.एस. अहीर गान्धी
7)	3-JLL-2/98-11 दिनांक 5-2-98	टोर स्टील 8mm " 16mm " 20mm " 25mm	1.965 mt 2.000 mt 1.960 mt 2.000 mt	श्री जे. सी. चौहान
	सतीश -76/95-96	सीमेंट	150 बैग	श्री सतीश गोयल
	[illegible] -210/2/98 [illegible] 7/2	सीमेंट	120 बैग	श्री अनिल गुप्ता

15. (ग) बिन कार्डों के रख-रखाव में अनियमितता :

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता पैरा 7.2.13 के अनुसार स्टॉक की प्राप्ति जारी करने एवं शेष का क्रमवार एवं तिथिवार ब्यौरा बिन कार्ड फार्म 8 में उस जगह पर रखना अनिवार्य है जहां पर कि माल को स्टोर किया गया हो । लेकिन इसकी प्रक्रिया की अपेक्षा करके प्राप्ति एवं जारी करने की तिथियां बिना कार्डों में नहीं लिखी जा रही हैं जबकि समस्त निर्माण सामग्री को जारी करने व उपयोग का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस त्रुटि को सुधारा जाना अति आवश्यक है । इसके अतिरिक्त बिन कार्डों को क्रमवार रखना व इनका एक ही रजिस्टर फार्म 12 बी के अनुसार रखा जाना चाहिए । भविष्य में निर्माण सामग्री की प्राप्ति व जारी करने की वास्तविक तिथियां तत्सत अभिलेख में यथाविधि अंकित करना सुनिश्चित करें।

15. (घ) गुड्स रिसीवड शीट संख्या सी.एस./97-136 दिनांक 13.11.97

उपरोक्त जी.आर.एस. द्वारा 70 ड्रम बिटुमन की प्राप्ति हि.प्र. एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड से हुई । जिसके लिए प्रोफोर्मा बिल संख्या 002444 दिनांक 12.11.97 को आधार मानते हुए वाउचर संख्या 54 दिनांक 26.11.97 द्वारा रु. 147943.00रुपये का भुगतान किया गया एवं इसी प्रोफोर्मा बिल को सीधे स्टॉक ससपेंस में डेबिट कर दिया गया जबकि असली बिल की प्राप्ति के बिना यह समायोजन नहीं की जानी चाहिए थी । हि0प्र0 एग्रो इन्डस्ट्रीज से प्राप्त असली बिल संख्या 000797 ही दिनांक 27.11.97 केवल रु. 140519.00 का था । अतः इस प्रकार 7424.00रुपये उक्त कारपोरेशन को अधिक अदा किए गए थे जो उनसे वापिस लेने बनते थे लेकिन सम्पूर्ण राशि का उपरोक्त प्रकरण में समायोजन करके हि0प्र0 एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड से 7424.00रुपये की लेनदारी को समाप्त दर्शा कर नगर विकास प्राधिकरण को 7424.00रुपये की क्षति पंहुचाई गई । हि0प्र0 एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को लेखाओं में शीघ्र 7424.00रुपये का

देनदार दर्शाकर उपरोक्त राशि की वापसी सुनिश्चित की जाए ।

15. (ग) वास्तविक बिलों की प्राप्ति के बिना समायोजन करने में अनियमितता :-

निम्नलिखित जी.आर.एस. द्वारा 380 बैग सीमेन्ट हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के माध्यम से ए.सी.सी. बरमाना से खरीदे दर्शाए गए हैं परन्तु इनसे सम्बन्धित सप्लाई आर्डर एवं बिल अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए । इसके साथ ही उपरोक्त कार्पोरेशन की वार्षिक लेखा विवरणिका में इस मात्रा का कहीं उल्लेख नहीं है अतः उपरोक्त सीमेन्ट की प्राप्ति की वास्तविकता की विभागीय स्तर पर जांच की जाए तथा वस्तु स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित लेखा परीक्षा को अवगत करें ।:-

जी.आर.एस.सं.	दिनांक	मात्रा	मूल्य
सी एस/97-44	9.6.97	180 बैग	23244.84
सी एस/97-45	9.6.97	180 बैग	23244.84
			46489.68

स्टोर से/कार्यों से सामग्री की वापसी/प्राप्ति के सम्बन्ध में :-

हरियाणा पब्लिक वर्क्स एकाउंट्स कोड के पैरा 10.3.9. (Return of Surplus Materials) जिसका उदाहरण नीचे दिया गया है के अनुसार भण्डार में निर्माण कार्यों पर अनुपयुक्त सामग्री की वस्तुओं के तत्कालीन मूल्य जिसमें भण्डारण प्रभार सम्मिलित न हो के आधार पर गणना में लिया जाना चाहिए किन्तु विभिन्न गुड्स रिसीव्ड शीट्स द्वारा स्टोर को विभिन्न कार्यों से वापिस आई सामग्री को उसी दर से वापिस नहीं लिया गया जिस दर से वह पहले जारी की गई थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं।

मद (1)	मूल्य जो वापसी पर लगाया गया (3) प्रति मीट्रिक टन	जिस मूल्य पर भण्डार जारी किया गया (4) (प्रति मी. टन)	मात्रा (5)	इन्डेन्ट संख्या/दिनांक जिसके अनुसार (6)
[illegible] 16 mm	12342	12020	1.996 mt	RCC-JB-II-17
[illegible] 20 mm	12342	11970	3.359 mt	4/12/93
[illegible]	12342	11570	0.467 mt	RCC-35
[illegible]	12342	11250	2.779 mt	[illegible]
[illegible] 8	22100	21100	2.344 mt	[illegible]
[illegible] 10	22170	21170	0.810 mt	[illegible]

मद (1)	प्रति इकाई की लागत दर (3)	सूचना की देय आदेश (अंतिम संशोधन के अनुसार) (4)	मात्रा (5)	इण्डेन्ट संख्या कालम 4 के अनुसार (6)
[illegible]	72	112	29 बैग	MKM/10-94 दिनांक 3/94
[illegible]	72	112.50	82 बैग	R.N. Madan 42/94 दिनांक 01/10/94
[illegible]	72	112	11 बैग	MK.M./10-94 दिनांक 3/94
[illegible]	72	112	22 बैग	M.K.M/10-94 दिनांक 3/94
[illegible]	15300	14650	0.300 MT.	291/6 दिनांक 3/96
[illegible]	133	131	75 बैग	13/97-AG 13 11-06-97
[illegible]	115	131	25 बैग	CRT/SMS/6-96 16-07-96
[illegible]	15300	17173	0.202	13/97-AG-2 15/05/97
[illegible]	15300	17173	0.378	

[illegible] त्रुटियों का उचित समाधान ... कार्यवाही ... आगामी ... अवगत करवाया जाए तथा ... रिकार्ड ... 10.3.9 ... निर्देशों का पालन ... आदेश।

3. निम्नलिखित जी० आर० एस० से ~~सामग्री~~ कार्य को वापिस आई सामग्री स्टोर में ली गई है लेकिन माप पुस्तिका से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

[illegible]	मद		मात्रा	मूल्य (कुल राशि)	टिप्पणी
[illegible] /97	सीमेंट		200 बैग	26724	E.E. Dv. No. I HPPWD शिमला
[illegible] /97	सीमेंट		90 बैग	10350	Parapet on Link Road RD 0/200 ... 0/400, 0/440-250 ... 0/440 ... अजय गुलेरिया संविदाकार
[illegible]	टोर स्टील	8 mm	0.300 MT	47201	Left out work in 6 No. Type A Qtr [illegible] -24-7-96-97 अजय अग्रवाल संविदाकार
	" "	10 mm	0.100 MT		
	" "	16 mm	0.950 MT		
	" "	20 mm	1.100 MT		
	" "	25 mm	0.035 MT		
[illegible]	[illegible]		0.730 MT	20115	'b' Qtr 23 No and Qtr 'E' No. [illegible] 24 No. कपिल [illegible] संविदाकार
[illegible]	टोर स्टील	8 mm	0.917 MT	34715	[illegible] R.D. 0/51 to 0/67-40 [illegible] -16 /96-97 आर० सी० [illegible] संविदाकार
	" "	10 mm	0.136 MT		
	" "	12 mm	0.044 MT		
	" "	16 mm	1.121 MT		
	" "	20 mm	0.051 MT		
[illegible]	बिटुमिन		50 ड्रम	93411	ए० ई० N.H. सब डिवीजन सोलन

[illegible] संख्या दिनांक	मद	मात्रा	मूल्य (कुल राशि)	टिप्पणी
1) [illegible]/97-112 [illegible]	टोर स्टील 10mm " " 16mm	1 MT 1 MT	30600=00	12 No. MIG II Flats inc. Internal W.S. & S.I. Development of Site कोमल कन्सट्रक्शन्स संविदाकार
2) 05/97-151 06/12/97	टोर स्टील 25mm " " 20mm " " 16mm	0.450 MT 1.332 MT 0.122 MT	291320=00	26 No. MIG II Flats. एम. एस. महती संविदाकार
3) [illegible]/97-162 20/01/98	सीमेंट	7 बैग	903=00	V shape Drain RD 0/290 - 0/950 नरेन्द्र वर्मा संविदाकार
4) [illegible]/97-164 11/02/98	टोर स्टील 10mm " " 12mm	1.500 MT 1.000 MT	38250=00	C/o Block No. 27, 28, 29, 30 संविदा 10/95-96

[illegible] अभिलेख आगामी [illegible]
उपरोक्त [illegible]
[illegible] जाना सुनिश्चित करें।

निम्नलिखित जी.आर. एस. द्वारा निर्माण कार्यों से सामग्री ... स्टोर में ली गई लेकिन उनके अभिलेखों के मूल्य से ... अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए

मद	मात्रा	मूल्य प्रति इकाई अनुसार	कुल राशि	टिप्पणी
टोर स्टील 8mm	0.251 MT	17850	4480-	c/o 1 Lac Litre O.H. Tank
,, ,, 10mm	0.183 MT	17350	3203-	विनीत कुमार संविदाकार
,, ,, 12mm	0.208 MT	17250	3588-	
सीमेंट	15 बैग	131	1965	-उपरोक्त-
टोर स्टील 20mm	0.040 MT	16300	652-	-उपरोक्त-
सीमेंट	35 बैग	133	4655	शॉप सर्वेंट्स क्वार्टर टाइप II के ऊपर Ag-28 ... एस. के. [illegible] संविदाकार
टोर स्टील 10mm	1.378 MT	1130[illegible]	40222	Type-I ... Ag-14 ...
,, ,, 12mm	0.095 MT	779		
,, ,, 16mm	1.402 MT	11496		
,, ,, 20mm	1.635 MT	13407		
सीमेंट	45 बैग	2240		
टोर स्टील 16mm	0.200 MT	1530	3060	... टाइप-II ...

[illegible]

पैरा 16(क) आबंटियों द्वारा किश्तों की राशि देरी से जमा करने पर देय ब्याज को न वसूलने बारे :-

आबंटियों द्वारा नगर विकास प्राधिकरण शिमला को जमा की जाने वाली किश्तों को बहुत से आबंटियों द्वारा निर्धारित समय की अपेक्षा देरी से जमा किया जाता है । देरी से जमा की गई किश्तों पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेना अनिवार्य है । अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 9/97 तथा 3/98 की पड़ताल करने पर पाया गया कि देरी से किश्तें जमा करवाने वाले आबंटियों से पूरा ब्याज वसूला नहीं जा रहा है, जिस कारण प्राधिकरण को उपरोक्त ब्याज दो मासों में 23649/=रुपये की आय की हानि उठानी पड़ी है । शेष मासों में कम वसूले गये ~~ब्याज के प्रकरण~~ ब्याज के प्रकरणों को प्राधिकरण अपने स्तर पर जांच करें अतः यह प्रकरण प्राधिकरण एवं सरकार के ध्यान में लाया जाता है । इस विषय में शीघ्र उचित कार्यवाही की जाए तथा प्रगति बारे इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

योजना का नाम एवं रजिस्ट्रेशन संख्या	किश्त की राशि(रु.)	किस मास एवं वर्ष की किश्त थी	किस तिथि को किश्त प्राप्त हुई ।	वास्तविक ब्याज	कितना ब्याज लिया	कितना कम ब्याज लिया
थोथी पी.एस. एच.एस./एफ एच.(मृ)/97 19	2142.00	8/97	6.9.97	30.00	शून्य	30.00
थोथी पी.एस. एच.एस./एफ एच.(जी)/97 80	3232.00	8/97	8.9.97	48.00	शून्य	48.00

~~चौथी [illegible] एस० ए० पी० [illegible] ... 9/7/97~~

~~चौथी पी० एस० ए० पी० एस०/एफ स्प (बी) ... 3132.00 ... 9/7/97 ... 10/9/97~~

चौथी पी० एस० ए० पी० एस०/पी (बी)/ -4827	1364.00	9/7/94	9/9/97	737.00	शून्य	737.00
चौथी पी० एस० ए० पी० एस०/एक स्प (बी)/ -4776	3132.00	9/7/97	10/9/97	97.00	शून्य	97.00
चौथी पी० एस० ए० पी० एस०/एक स्प (बी)/ -4759.	1363.00	9/2/97	12/9/97	145.00	शून्य	145.00
दूसरी एस० ए० पी० एस०/ एफ (ए)-4011	705.00	9/8/97	12/9/97	12.00	शून्य	12.00
पाँचवी पी० एस० ए० पी० एस०/पी (बी)- -6534	4153.00	9/6/97	25/9/97	221.00	शून्य	221.00
पाँचवी पी० एस० ए० पी० एस० /एफ (बी) -6256	5286.00	6/97, 7/97, 8/97 एवं 9/97	30/9/97	702.00	शून्य	702.00
छठी एस० ए० पी० एस०/ एफ स्प (ए)-7327	5936.00	12/94 से 9/95	15/9/97	27667.00	17504.00	10163.00
[illegible]-64/एम-II/ -3546	1339.00	1/97, 2/97, एवं 3/97	30/9/97	445.00	शून्य	445.00
[illegible]-64/एम-II/ -3254	737.00	9/10/94 से 9/7/95	9/9/97	3341.00	2630.00	711.00
[illegible]-21/एम-II/ -3352	1324.00	9/7/97	8/9/97	33.00	शून्य	33.00

(5)

के०औद्- -84/खण्ड-II/ -3629	1339.00	9/7/97	15/9/97	38.00	शून्य	38.00
के० औद्- -84/खण्ड-II/ -3641	1339.00	9/8/97	4/9/97	11.00	शून्य	11.00
के०औद्-84/खण्ड-II/ -3647	1339.00	9/2/97	12/9/97	136.00	22.00	114.00
के०औद्०-84/खण्ड-I/ -2069	475.00	9/7/97	8/9/97	12.00	शून्य	12.00
के०औद्०-84/खण्ड-I/ -2076	483.00	9/7/97	6/9/97	12.00	शून्य	12.00
के०औद्०-84/ई डब्ल्यु/ -1338	228.00	11/96 तक 12/96	5/9/97	62.00	शून्य	62.00
के० औद्०-84/ई डब्ल्यु/-1344	228.00	12/93 से 9/96	30/9/97	3359.00	1778.00	1581.00

[illegible]/ 4641	2106-00	9/3/98	17-3-98	8	— 8
[illegible]/ 6972.	5286-00	9/2/98	9/3/98	73	— 73
	5286-00	9/3/98	20/3/98	29	— 29
— " — 6272.			15-3-98	23	— 23
— " — 6261	5286	9-3-98			

A-95

(4)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	6274	5286	9-2-95	20-3-98	102	—	102
—	6523	3463	9-3-98	17-3-98	14	—	14
—	6475	4209	9-3-98	17-3-98	16	—	16
[illegible]	1151	5625	9-3-98	26-3-98	47	—	47
[illegible]	3194	1315	9-2-98	5-3-98	15	—	15
—	1464	388	9-6-96	5-3-98	119	12	107
—	1474	388	9-6-96	5-3-98	119	12	107
—	2322	1372	9-6-95	5-3-98	660	—	660
—	3087	126	9-3-97	5-3-98	20	—	20
—	2069	475	1/98	7-3-98	14	—	14
—	2072	483	1/98	7-3-98	14	—	14
—	2094	2898	6/97	7-3-98	162	102	60
—	2624	737	2/98	7-3-98	9	—	9
—	2626	737	2/98	7-3-98	9	—	9
—	2656	2676	1/98	7-3-98	55	—	55
—	2641	1324	2/98	9-3-98	18	—	18
—	2252	1324	12/97	9-3-98	59	—	59
—	2425	224	1/98	11-3-98	37	—	37

[illegible]	1228	228	5/97	16-3-98	34	—	34
—॥—	1025	2250	2/94	17-3-98	1520	220	1300
—॥—	1465	368	12/96	20-3-98	87	—	87
—॥—	1486	368	11/96	20-3-98	93	—	93
—॥—	2278	4422	12/97	20-3-98	76	—	76
—॥—	2297	2211	2/98	20-3-98	18	—	18
—॥—	1105	3420	9/94	25-3-98	1805	1580	225
—॥—	2629	1339	1/98	28-3-98	52	—	52
—॥—	2376.	1339	1/95	31-3-98	4325	1966	2359
[illegible]	7613.	1760	4/97	7-3-98	228	—	228
—॥—	7609	1658	4/97	7-3-98	270	—	270
[illegible]	6478	4009	3/98	17-3-98	16	—	16
—॥—	6123.	183.	4/97.	14-3-98	31	—	31
[illegible]	7537	1310	4/97	17-3-98	216	—	216
—॥—	7058	183.	4/97	20-3-98	31	—	31
[illegible]	6357.	2498	4/97	18-3-98	422	—	422
[illegible]	11603.	4025	2/98	9-3-98	56	—	56.
[illegible]	14529	2728	4/95	12-3-98	1465	—	1465

पैरा 16. (ख) प्राधिकरण द्वारा ब्रोचरस एवं फोर्मस के स्टाक से सम्बन्धित अभिलेख संधारित न किए जाने बारे :-

प्रा. के विभिन्न आवासीय योजनाओं के ब्रोचरज एवं फोर्मस की बिक्री एवं स्टाक से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित ब्रोचरज लीज डीड फोर्मस तथा जी.पी.ए. फोर्मस को समय समय पर स्थिति स्थितिनुसार आवेदकों एवं अंबटीयों को 50 रुपये प्रति ब्रोचर ,30रु. प्रति लीज डीड फोर्म के हिसाब से बेचे जाते हैं । आवेदक या अंबटी उपरोक्त ब्रोचर या फोर्म प्राधिकरण के रसीद अनुभाग में उपरोक्त मूल्य जमा करवाने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद दिखाने के पश्चात प्राप्त करता है । बेचे गए ब्रोचरस तथा फोर्मस की प्रविष्टियां कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित रजिस्टरों में की जाती है । परन्तु उपरोक्त चयनित मासों में पड़ताल के दौरान पाया गया कि बेचे गए ब्रोचरस एवं फोर्मस की प्रविष्टियां, जिनका विवरण पैरे के अन्त में दिया गया है, कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित रजिस्टरों में नहीं की गई तथा यह भी पाया गया कि प्रविष्टियां तिथिनुसार न करके आगे पीछे की जा रही हैं । इसके अलावा ऐसा कोई भी रजिस्टर या/अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वित्त वर्ष 1997-98 के आरम्भ में ब्रोचरस एवं फोर्मस का शेष कितना था, वर्ष के दौरान कितने छपवाए गए, कितने जारी किए गए तथा अन्त में शेष कितना था । इससे यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा ब्रोचरस तथा फोर्मस के स्टाक से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं किए जा रहे हैं । तथा साथ ही इनके दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । यह विषय प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है । यदि उपरोक्त अभिलेख प्राधिकरण द्वारा संधारित किए....... ...

...ता रहे हैं तो आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जायें।

माह 9/97 तथा 3/98 के दौरान बेचे गए ब्रोचर्स तथा फॉर्मस, जिनकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टरों में नहीं की गई, का विवरण :—

रजिस्टर संख्या/ पेज सं०	प्रचलन माह	रसीद संख्या	दिनांक	राशि	विवरण
~~9045~~	9/97	9045	1/9/97	50.00	ब्रोचर
—	—"—	9171	5/9/97	50.00	—"—
—	—"—	9346	9/9/97	100.00	—"—
—	—"—	9430	11/9/97	50.00	—"—
—	—"—	9472	15/9/97	100.00	—"—
—	—"—	9524	19/9/97	100.00	—"—
—	—"—	9620	30/9/97	50.00	—"—
—	—"—	9630	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9631	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9632	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9633	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9634	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9635	—"—	120.00	—"—
—	—"—	9636	—"—	60.00	—"—

10
60

— लगातार —

~~98~~-99:

9147	9/97	9301	8/9/97	30.00	लीज डीड फीस
5490	—ıı—	9519	19/9/97	30.00	—ıı—
1610	—ıı—	9523	—ıı—	30.00	—ıı—
10082	9/97	9589	26/9/97	30.00	—ıı—
10083	—ıı—	9590	26/9/97	30.00	—ıı—
4277	9/97	9604	29/9/97	30.00	अन्य॰प्र॰लि॰फ॰ फीस
6193	—ıı—	9605	29/9/97	30.00	—ıı—
7585	—ıı—	9618	29/9/97	30.00	—ıı—
[illegible]	3/98	12697	2/3/98	30—00	अन्य॰ पी॰ली॰ फार्म
[illegible]	—ıı—	13217	19/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13225	19/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13227	19/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	12796	4/3/98	30—00	लीज डीड फार्म
[illegible]	—ıı—	12924	7/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13022	9/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13097	11/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13110	12/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13152	16/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13164	17/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13222	19/3/98	30—00	—ıı—
[illegible]	—ıı—	13290	25/3/98	30—00	—ıı—